BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

IN

O.A. NO. 01 /2025

IN THE MATTER OF:

KAVITA ...PETITIONER

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS ...RESPONDENT

INDEX

S.No	Particulars	Page No.
1.	Reply by way of affidavit on behalf of respondent no.2, Director Mining &Geology, Government of Uttarakhand.	1-8
2.	**Annexure A.** Copy of the order dated 24.01.2025	9-12
3.	**AnnexureB** Copy of the order dated 17.03.2025	13-14
4.	**Annexure C** Copy of the Government Order No. 291/VII-A-1/2014/187B/07 dated 03.02.2014 and Government order No. 465/VII-I/2014/187-B/ 2007 dated 28.02.2014	15-17
5.	**Annexure D** Copy of notification number 423 (A) dated 10.02.2015	18-19
6.	**Annexure E** copy ofUttarakhand Minor Mineral Policy-2015	20-37
7.	**Annexure F** copy Government Order No. 341/VII-A-1/2015/187B/07 dated 26 02.2016	38-39
8.	**Annexure G** Copy of the mining plan, office memorandum dated 06.02.2017	40-41
9.	**Annexure H** Copy of the extensions sought by respondent no 6.	42-44
10.	**Annexure I** Copy of the letter dated 29.04.2025	45

Dated 03.05.2025

Adv. Anjali Rajput
for respondent no 2
9811777368,
advanjali.rajput@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

IN

O.A. NO. 01 /2025

IN THE MATTER OF:

KAVITA **...PETITIONER**

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND **...RESPONDENT**

& ORS

REPLY BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO.2, DIRECTOR MINING & GEOLOGY, GOVERNMENT OF UTTARAKHAND,

Most respectfully showeth:

1. That the afore mentioned case was listed for hearing on 24.01.2025 And the Hon'ble tribunal was pleased to pass the following order:

> *10. It may be observed here that the concerned authorities-the Director,Mining and Geology, Uttarakhand, the District Magistrate, Uttarkashi and3Regional Officer, UKSPCB, Uttarkashi are under statutory obligation toinspect the mine and in case of violations take appropriate remedial andpunitive action in accordance with law independent of any direction by thisTribunal. In case the Joint Committee observes any violations of statutoryprovisions/environmental norms it shall send copy of its report to theconcerned authorities which shall be bound to take appropriate remedialand punitive action in discharge of their statutory obligation in accordancewith law and to file Action Taken*

Report before this Tribunal at least threedays before the next date of hearing fixed.

11. List on 17.03.2025 for further consideration.

12. Since the applicant did not join the proceedings despite communication from the registry, effort was made to join the applicant through mobile call on the mobile phone number given on the envelop ofthe letter petition. Mr. Shyamlal Gautam answered the call and stated thatletter petition has been sent by Ms. Kavita, Pradhan of Gram Panchayat Bhankwad and her mobile number was updated to the Registry.

13. The Registry is directed to inform the applicant about the next dateof hearing and also to send VC link to her for joining of the proceedings onthe next date of hearing

That the copy of the order dated 24.01.2025 is annexed herewith as **Annexure A.**

2. That the afore mentioned case was listed for hearing on 17.03.2025 And the Hon'ble tribunal was pleased to pass the following order:

"5. Respondent no. 6- CPCB is already represented before the Tribunal by its Counsel Ms. Soni Singh, Advocate.

6. Replies/responses by the respondents may be filed at least one weekbefore the next date of hearing.

7. List on 05.05.2025 for further consideration."

NOTARY Birendra Singh (Advocate) Reg.No.58(01)2022 Dehwala,Dehradun STATE OF UTTARAKHAND

That the copy of the order is annexed herewith as **Annexure B.**

3. It is submitted that village KakredaBhakwad, Tehsil Mori, District Uttarkashi, has a total land of 98.08 hectare out of which area of civil forest

land is about 28.9746 hectare and the area of village Kukreda is 3.86500 hectare, Land measuring 12.0103 hectare is civil and private forest, reserved forest land is 44.9793 hectare.

4. It is submitted thatrespondent no 6 submitted application in the office of District Magistrate, Uttarkashi for prospecting license under the Mineral Concessions Rules 1960 (the then main mineral) for Silica Sand on 21-09-2005 forarea of 99.81 hectares, in village Kukreda and Bhakwad, Tehsil Mori, District Uttarkashi.

5. That Industrial Development Department of the Government of Uttarakhand, under Section 6 (1) (c) of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, and the Mineral Concession Rules, 1960, approved prospecting license for silica sand for a one-year period, covering 35.94480 hectares in Kukreda and Bhakwad villages, Mori Tehsil, Uttarkashi Districtvide Government Order No. 291/VII-A-1/2014/187B/07 dated 03.02.2014 and was subsequently executed in favor of respondent number 6 on vide Government order No. 465/VII-I/2014/187-B/2007 dated 28.02.2014. That the copy of the Government Order No. 291/VII-A-1/2014/187B/07 dated 03.02.2014 and Government order No. 465/VII-I/2014/187-B/2007 dated 28.02.2014 is annexed herewith as **Annexure C.**

NOTARY ★ Birendra Singh (Advocate) Reg.No.56(01)2020 Delwala,Dehradun STATE OF UTTARAKHAND

6. That Ministry of Mines, Government of India, exercising it power conferred by clause (e) of section 3 of Mines and Minerals (Development and

Regulation) Act, 1957 issued notification number 423 (E) dated 10.02.2015, which reclassified silica sand, along with 29 major minerals as minor/sub-minerals in addition to the earlier declared minor minerals.That the copy of notification number 423 (A) dated 10.02.2015 is Annexed herewith as **Annexure D.**

7. That Section 15 ofMines and Minerals (Development and Regulation Act, 1957 conferspower on State Governments to make rules with respect to the minor minerals:

   "15. Power of State Governments to make rules in respect of minor minerals.—*(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for, regulating the grant of 3 [quarryleases, mining leases or other mineral concessions] in respect of minor minerals and for purposesconnected therewith."*

8. That following this reclassification and power conferred under section 15 ofMines and Minerals (Development and Regulation Act, 1957, Government of Uttarakhand formulated, Uttarakhand Minor Mineral Policy-2015 vide Government Order number 844/VII-1/2015/68-B/2015, dated 31.07.2015. That the copy of Uttarakhand Minor Mineral Policy-2015 is Annexed herewith as **Annexure E.**

9. That it is specified in clause-6 (four) (a) of the Uttarakhand Minor Mineral Policy-2015, that for the minor minerals declared by the Mines and

NOTARY Birendra Singh (Advocate) Reg.No.58(01)2022 Dehwala,Dehradun STATE OF UTTARAKHAND

Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 as amended dated 12-01-2015 and notification S.O. 423 (A) dated 10 February 2015 of the Ministry of Mines, Government of India, that all the previously approved prospecting license holders, Government Order issued for prospecting license, letter of intent issued for prospecting license and recommendation sent for prospecting license issued by the Director, Geology and Mining Department, will be eligible for mining lease on the recommendation of the Director,Geology and Mining Department after depositing the prescribed application fee.

10. That it is also specified in clause 6 (two) of the thenprevalent Uttarakhand Minor Mineral Policy, 2015, the tenure for granting prospecting licenses for secondary minerals (as reclassifiedby Ministry of Mines, Government of India vide notification dated 10.02.2015) was as follows

   a. For area of 05 hectares and above, a 50-year tenure is granted based on the request of mining lease holder and upon recommendation of Director, Mining and Geology Department, Government of Uttarakhand.
   b. 25 years for areas between 02 and 05 hectares.

NOTARY Birendra Singh (Advocate) Reg.No.58(01)2022 Dehwala,Dehradun STATE OF UTTARAKHAND

11. That on 09-03-2015 respondent no 6 applied for mining lease of silica sand mineral for a area of area of 35.944 hectares under the provisions of the Uttarakhand Minor Mineral Policy-2015.

12.It is further submitted that Industrial Development Department, Government of Uttarakhand vide Government Order No. 341/VII-A-1/2015 /187B/07 dated 26 02.2016 issued a conditional letter of intent for 50 years mining lease of mineral silica sand in favor ofrespondent no 6 for an area measuring 35.94480 hectare in villages Kukreda and Bhakwad of Tehsil Mori in district Uttarkashi as per the provisions of Uttarakhand Secondary Minor Mineral Policy-2015 (as amended from time to time). That the copy Government Order No. 341/VII-A-1/2015/187B/07 dated 26.02.2016 is annexed herewith as **Annexure F.**

13.That subsequent to the Letter of Intent, a 05-year mining plan was approved by the Director, Geology & Mining Unit, Dehradun, as per their office memorandum dated 06.02.2017. This plan specified the yearly extraction quantities: 39,569 tons (Year 1), 66,841 tons (Year 2), 88,879 tons (Year 3), 117,126 tons (Year 4), and 175,017 tons (Year 5). The office memorandum dated 06.02.2017 is annexed herewith as **Annexure G.**

14. That condition 8.2 of the Letter of Intent stipulated a 3-month time from the receipt of the order, for the applicant to fulfill the conditions mentioned therein and to execute the mining lease deed. Failure to meet this deadline would result in automatic revocation of the Letter of Intent without prior notification. Subsequently, the prospecting licensee requested an extension of this time limit for the compliances from time to time and the same were extended by office order no 1868/Vii-1/187-Kha/2007, 09.12.2016, Office

NOTARY
Birendra Singh
(Advocate)
Reg.No.56(01)2022
Delwala,Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

order no 79/VII-1/2018.187-Kha/07, 22.05.2018 and office order no 1813/VII-I/2019/187-Kha/07 dated 11/09/2019 That the copy of the extensions is Annexed herewith as **Annexure H (colly).**

15. ThatIndustrial Development (Mining) Government of Uttarakhand,by Government Order No. 691/VII-A-1/2020/187B/07 dated 06.07.2020 for the compliance of the remaining conditions except condition number1 application fee of Rs. 3.00 lakh, condition number 4 bank guarantee of Rs. 2.00 lakh, Condition number 5 environmental clearance, condition number 6 GST No., condition number7 Rs. 10000/- FDR and condition number8 list of private landholders, approved the mining lease application for mining of Silica Sand for a period of 50 years as per the provisions of Uttarakhand Secondary Minor Mineral Policy, 2015in favor of respondent no 6for a area measuring 35.994 hectares in village Kukreda and village Bhakwad of Tehsil Mori in district Uttarkashi.

16. That respondent no 6 obtained Environmental Permission vide letter No. 283-01(99)/2019 dated 12-08-2021 issued by the State Level Environmental Impact Assessment Authority (SEIAA), Uttarakhand, and after complying the remaining conditions the mining lease deed mining was executed by Government Order No. 1163/VII-A-1/2023-187B/2007 vide dated 08.08.2023 of the Industrial Development (Mining) Section 1 Uttarakhand Government in continuation of the Government Order dated 06.07.2020.

NOTARY Birendra Singh (Advocate) Reg.No.56(01)2022 Dalwala,Dehradun STATE OF UTTARAKHAND

17.It is further submitted that vide notification no 977/VII-A-!/2023-24 kha/2007, dated 16 June 2023, promogulated Uttarakhand Minor Mineral (concession) Rule 2023 and suppressed all existing rules with regard to the Minor Minerals.

18.It is also submitted that after fulfilling all the conditions of the Letter of Intent, mining lease in question was granted in favor of respondent no 6 by executing the lease deed on 08.08.2023 vide office order no 1163/VII-A-1/2023-187kha/2007. That the Lease Deed executed in favor of respondent no 6 is reviewed and modified as per Uttarakhand Minor Mineral (concession) Rule 2023as per suggestion of the joint committee report rules mentioned. That the copy of the letter no 1056/VII-A-1/25-187kha/2007 dated 28.04.2025 is Annexed herewith as **Annexure I.**

19.It is also submitted that till date no mining activities have been yet carried out by the leaseholder on the approved areaby respondent no 6.

NOTARY ★ Birendra Singh (Advocate) Reg.No.56(01)2022 Doiwala,Dehradun ★ STATE OF UTTARAKHAND

Deponent

VERIFICATION: -

Verified at on this 02 day of May 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to my knowledge and no part of it is false therein and nothing has been concealed therefrom.

S.R. K10 50
2.5.2025

This affidavit is sworn before me by Shri....Kavita.............
who is identified by Shri..................
At Doiwala Dehradun on.................

Birendra Singh
Advocate & Notary
Doiwala,Dehradun
2.05.2025

Deponent

Item No.01 Court No. 2

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No.01/2025

Kavita Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. Respondents

Date of hearing: 24.01.2025

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER**
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: None for the applicant.

Respondents: None for the respondents.

ORDER

1. Ms. Kavita, Pradhan of Gram Panchayat Bhankwad, Block and Tehsil Mori, District Uttarkashi, Uttarakhand has sent the letter petition dated 11.11.2024 complaining about mining of silica sand by Project Proponent-Shri Ratan Singh Oswal resident of Dehradun in violation of environmental norms.

2. Under the orders of Hon'ble Chairperson the above said letter petition has been treated and registered as O.A. No. 01/2025 under sections 14 and 15 of the National Green Tribunal, 2010 for exercising suo-moto jurisdiction in view of law laid down by Supreme Court in **Municipal Corporation of Greater Mumbai Versus Ankita Sinha and others, (2022) 13 SCC 401**.

3. Grievances of the applicant are that lease for mining in respect of land measuring 35.994 hectare has been granted in favour of the Project Proponent for mining of silica sand in violation of environmental norms.

NOTARY Birendra Singh (Advocate) Reg.No.58(01)2022 Dehradun STATE OF UTTARAKHAND

The leased land being situated amidst residential area is violative of location criteria. The lease having being granted for 50 years is also violative of Rule 10 (2) of the Uttarakhand Minor Mineral (Concession) Rule 2023 which permits mining of silica sand etc. for maximum period of 25 years. The leased land includes private land measuring about 02.221 hectares for which consent of the owners was mandatorily required to be obtained under Rule 6 (10) of the Uttarakhand Minor Mineral (Concession) Rule 2023 but consent has not been obtained from some of the owners while consent has been obtained from some of the owners by misrepresentation. EIA report was also not disclosed to the villagers. Public hearing was also not conducted as per the prescribed procedure. Public hearing was conducted on 30.04.2024 by joining some of the villagers only. The mining lease is adjacent to three passages, source of water, cremation ground and gocharand. Mining will damage the same and is also violative of rule 38 (a) (1) of the Uttarakhand Minor Mineral (Concession) Rule 2023. Mining has been permitted within 40-45 meters distance from Tons river in violation of environmental norms which prohibit mining up to the distance of 100 meters from river. Pillars have not been installed within mining lease area. Mining in the lease area will cause air pollution posing serious risk to human beings including children and senior citizens. Mining in the lease area will also adversely impact Mahasu Mandir Hanol or Thadiar which are of archeological value.

4. *Prima facie*, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010.

NOTARY
Birendra Singh
(Advocate)
Reg.No.56(01)2022
Dehwala, Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

5. In view thereof, we consider it necessary to seek replies/responses from (1) State of Uttarakhand through Secretary, Environment Department, Government of Uttarakhand, (2) Director, Mining and

Geology, State of Uttarakhand, (3) District Magistrate, Uttarkashi, (4) Uttarakhand Pollution Control Board (UKPCB) through Member Secretary and (4) Shri Ratan Singh Oswal (Project Proponent) son of Late Shri Abdyal Singh Oswal resident of B-4-502, Pacific Golf Estate, Village Kulhan, Sahastradhara Road, Dehradun who are impleaded as respondents no. 1 to 4.

6. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents no. 1 to 4.

7. Notice be served on Shri Ratan Singh Oswal through the District Magistrate, Uttarkashi and for this purpose notice issued to the Shri Ratan Singh Oswal be sent to the District Magistrate, Uttarkashi by E-mail for getting service of the same effected on it and sending his report in this regard.

8. Replies/responses by respondent no.1 to 4 be filed at least three days before the date of hearing fixed.

9. Further in view of the factual averments made in the application, we also consider due verification thereof through a Joint Committee to be necessary. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of the representatives of CPCB, UKPCB, District Mining Officer and District Magistrate, Uttarkashi. The Joint Committee is directed to visit the spot after giving notice to the Project Proponent, look into the grievances after joining the applicant and representative of the Project Proponent, verify the factual position, suggest appropriate remedial action and submit its report within six weeks. The CPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

NOTARY Birendra Singh (Advocate) Reg.No.56(01)2022 Delwala,Dehradun STATE OF UTTARAKHAND

10. It may be observed here that the concerned authorities-the Director, Mining and Geology, Uttarakhand, the District Magistrate, Uttarkashi and

Regional Officer, UKSPCB, Uttarkashi are under statutory obligation to inspect the mine and in case of violations take appropriate remedial and punitive action in accordance with law independent of any direction by this Tribunal. In case the Joint Committee observes any violations of statutory provisions/environmental norms it shall send copy of its report to the concerned authorities which shall be bound to take appropriate remedial and punitive action in discharge of their statutory obligation in accordance with law and to file Action Taken Report before this Tribunal at least three days before the next date of hearing fixed.

11. List on 17.03.2025 for further consideration.

12. Since the applicant did not join the proceedings despite communication from the registry, effort was made to join the applicant through mobile call on the mobile phone number given on the envelop of thc letter petition. Mr. Shyamlal Gautam answered the call and stated that letter petition has been sent by Ms. Kavita, Pradhan of Gram Panchayat Bhankwad and her mobile number was updated to the Registry.

13. The Registry is directed to inform the applicant about the next date of hearing and also to send VC link to her for joining of the proceedings on the next date of hearing.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

January 24th, 2025
O.A. No.1/2025/AG

NOTARY
Birendra Singh (Advocate) Reg.No.58(01)2022 Doiwala,Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

ATTESTED
Birendra Singh
Advocate & Notary
Reg. No. 58(01)2022
Doiwala Court Compound
Doiwala, Dehradun (U.K.)
2.5.2025

4

Item No.03 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 1/2025

Kavita Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. Respondents

Date of hearing: 17.03.2025

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: None for the applicant.

Respondents: Mr. Adarsh Chamoli, Advocate for respondents no 1 and 3.
Ms. Anjali Rajput, Advocate for respondent no. 2.
Mr. Mukesh Verma and Ms. Vatsala Tripathi, Advocates for respondent no. 4.
Mr. Gaurav Kumar Bansal, Mr. Shalabh Singhal, Ms Nandita Bansal, Mr Vishnu Kumar Gupta and Ms Chandrika Upadhyay, Advocates for respondent no. 5.
Ms. Soni Singh, Advocate for respondent no. 6.

ORDER

1. In compliance to order dated 24.01.2025, report of the Joint Committee has been filed by CPCB via email dated 13.03.2025.

2. Response dated 12.03.2025 has been filed by respondents no. 1 and 3 seeking grant of time for taking appropriate action on receipt of report of the Joint Committee.

3. Learned counsel for respondent no.5 seeks time to file its reply/response.

4. In view of the facts and circumstances of the case, we also consider presence of CPCB to be essential for just and proper adjudication of the

questions involved in the case and accordingly CPCB is impleaded as respondent no.6. The Registry is directed to amend the memo of parties accordingly.

5. Respondent no. 6- CPCB is already represented before the Tribunal by its Counsel Ms. Soni Singh, Advocate.

6. Replies/responses by the respondents may be filed at least one week before the next date of hearing.

7. List on 05.05.2025 for further consideration.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

March 17th, 2025
Original Application No. 1/2025
AB

ANNEXURE C

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग
संख्याः 291 /VII-I/2014/187--ख/2007
देहरादून : दिनांकः 03 फरवरी, 2014

कार्यालय ज्ञाप

जनपद उत्तरकाशी की तहसील मौरी के ग्राम कुकरेड़ा एवं भकवाड़ में 99.81 हैक्टेयर क्षेत्रफल पर खनिज सिलिका सैण्ड का प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस चाहने हेतु आवेदक श्री रतन सिंह असवाल पुत्र श्री अबदयाल सिंह असवाल, निवासी 215 साउथ वनस्थली, शिव मंदिर लेन, बल्लूपुर चौक, देहरादून के द्वारा दिनांक 21.09.2005 को प्रस्तुत आवेदन पत्र के कम में आवेदक के पक्ष में शासनादेश संख्याः 390/VII-II-08/187--ख/2007, दिनांक 20 मार्च, 2008 के द्वारा 99.81 हैक्टेयर भूमि में 01 (एक) वर्ष की अवधि हेतु खनिज सिलिका सैण्डा का प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस स्वीकृत किये जाने हेतु आशय पत्र निर्गत किया गया। आशय पत्र दिनांक 20 मार्च, 2008 में उल्लिखित औपचारिकताएं निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण न करने के कारण हुए लगभग 06 वर्ष के विलम्ब का मर्षण करते हुए खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम 9(1) के अन्तर्गत आवेदक श्री रतन सिंह असवाल के आवेदन पत्र के कम में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा--6(1)(सी) एवं खनिज परिहार नियमावली, 1960 तथा उसमें समय--समय पर होने वाले संशोधनों में उल्लिखित निर्बन्धों और प्रतिबन्धों के अतिरिक्त निम्नलिखित निर्बन्धनों और प्रतिबन्धों पर आवेदक श्री रतन सिंह असवाल पुत्र श्री अबदयाल सिंह असवाल, निवासी 215 साउथ वनस्थली, शिव मंदिर लेन, बल्लूपुर चौक, देहरादून के पक्ष में खनिज सिलिका सैण्ड का 01 (एक) वर्ष का प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है :--

1	खनिज का नाम	सिलिका सैण्ड
2	क्षेत्रफल/क्षेत्र	35.944 हैक्टेयर भूमि एक खण्ड में ग्राम कुकरेड़ा एवं भकवाड़, तहसील मौरी, जनपद उत्तरकाशी में जो विवरण पत्र एवं मानचित्र के अनुसार उपलब्ध क्षेत्र का भूमि पर वास्तविक सीमाबन्धन खेतवार एवं खसरेवार क्षेत्र के आधार पर निर्धारित।
3	अवधि	प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस विलेख के पंजीयन की दिनांक से एक वर्ष तक।
4	प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस शुल्क	रू0 10/-- (रूपये दस) प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष।
5	प्रतिभूति	खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम--20 के अनुसार रू0 2500/-- (रू0 दो हजार पांच सौ मात्र)।
6	अन्य कर	राज्य में प्रचलित नियमों एवं उनमें समय--समय पर होने वाले संशोधनों के अनुसार।
7	प्रयोगशाला विशलेषण के लिए खनिज निकासी की मात्रा	खनिज परिहार नियमावली, 1960 के नियम--14 की तृतीय अनुसूची के स्तम्भ--3 के अनुसार 50 टन बिना रायल्टी भुगतान के तथा तृतीय अनुसूची के स्तम्भ--4 के अनुसार 200 टन रायल्टी भुगतान के साथ।

8. अतिरिक्त शर्तें :--

8.1 प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस पर स्वीकृत क्षेत्र का कोई भी भाग यदि भविष्य में वन भूमि होना पाया जायेगा या केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा वन भूमि घोषित किया जायेगा या वन भूमि माना जायेगा तो प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंसधारक को ऐसी वन भूमि पर तुरन्त प्रभाव से प्रोस्पेक्टिंग कार्य बन्द करना होगा तथा तब तक प्रोस्पेक्टिंग कार्य अथवा गैर वानिकी कार्य नहीं करेगा जब तक कि वह ऐसी वन भूमि के सम्बन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नहीं कर लेता है।

8.2 यदि आवेदक द्वारा इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर समुचित प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस विलेख निष्पादित नहीं किया जाता है तो यह आदेश बिना किसी पूर्व सूचना के ही प्रतिसंहृत कर दिया जायेगा।

NOTARY
Birendra Singh (Advocate)
Reg.No.58(01)2022
Doiwala, Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

226

8.3 प्रोस्पेक्टिंग कार्य के दौरान किसी सार्वजनिक स्थल/धार्मिक स्थान/सड़क/वृक्ष आदि को क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी अन्यथा प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

8.4 खनिज पदार्थों के पूर्वेक्षण जिसमें ड्रिलिंग नहीं हो को ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत छूट दी गयी है बशर्ते कि वास्तविक सर्वेक्षण के लिए छूट वाले क्षेत्रों की पूर्व अनुमति ली गयी है।

8.5 प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंसधारक को प्रोस्पेक्टिंग कार्य के दौरान प्रो0ला0 विलेख की समस्त शर्तों/खनन नियमों/शासनादेशों/स्थानीय आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

8.6 प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंसधारी द्वारा प्रोस्पेक्टिंग कार्यों की छःमाही प्रगति रिपोर्ट भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून को भेजनी होगी तथा खनिज का विश्लेषण/परीक्षण विभागीय प्रयोगशाला में कराया जाना होगा।

8.7 प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंसधारी प्रोस्पेक्टिंग कार्यों के दौरान किये गये खर्च तथा प्रोस्पेक्टिंग के दौरान प्राप्त खनिज और प्रोस्पेक्टिंग कार्य तथा खनिजों की मात्रा तथा खनिज की निकासी का ब्यौरा जिलाधिकारी कार्यालय तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपद एवं मुख्यालय कार्यालयों को उपलब्ध करायेगा।

8.8 प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस दिलेख हेतु विधिक्षण शुल्क रू0 300/–लेखाशीर्षक 070–अन्य प्रशासनिक सेवायें, 01–व्यय प्रशासन, 501–सेवायें फीस, 01–की गयी सेवाओं के लिये भुगतान की गयी में, लाईसेंसधारी द्वारा जमा की जायेगी।

यदि आवेदक उपरोक्त शर्तों पर 35.944 **हैक्टेयर** भूमि पर खनिज सिलिका सैण्ड का प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस लेने हेतु सहमत हों तो अपनी लिखित सहमति एवं प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस विलेख भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून कार्यालय के माध्यम से भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा–35 के अनुसार निर्धारित स्टाम्प पर विधिक्षित आलेख पर शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(सर्केश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 291 (1)/VII-1/2012/191–ख/2006, तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, प्रथम तल, डी ब्लॉक, सिविल लाईन्स, इन्द्रानगर, नागपुर।
2. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र संख्या 1265मु0ख0/06/पिथौ0/भू0खनि0इ0/2009–10, दिनांक 10.11.2010 के सम्बन्ध में।
4. क्षेत्रीय नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, देहरादून।
5. श्री रतन सिंह असवाल पुत्र श्री अबदयाल सिंह असवाल, निवासी 215 साउथ वनस्थली, शिव मंदिर लेन, बल्लूपुर चौक, देहरादून के संज्ञानार्थ इस आशय से प्रेषित कि आवेदक को खनन पट्टे का आशय पत्र जारी किये जाने के उपरान्त खनन पट्टे के शासनादेश जारी किये जाने से पूर्व E.I.A. Notification, 2006 के प्राविधानानुसार 5.00 हैक्टेयर से कम क्षेत्रफल में भी खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
अपर सचिव।

NOTARY
Birendra Singh
(Advocate)
Reg.No.58(01)2022
Dalwala,Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

ATTESTED
Birendra Singh
Advocate & Notary
Reg.No. 58(01)2022
Dalwala Court Compound
Dalwala, Dehradun (U.K.)
2.5.2025

Annexure - C

संख्याः 465 / VII-1 / 2014 / 187–ख / 2007

प्रेषक,

जी0एस0 बिष्ट,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग — देहरादून : दिनांकः 22 फरवरी, 2014

विषयः श्री रतन सिंह असवाल पुत्र श्री अबदयाल सिंह असवाल, निवासी 215 साउथ वनस्थली, शिव मन्दिर लेन बल्लूपुर चौक देहरादून के पक्ष में ग्राम कुकरेडा एवं भकवाड़, तहसील मोरी, जनपद उत्तरकाशी में 35.944 हैक्टेयर क्षेत्र में खनिज सिलिका सैण्ड का प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस विलेख के निष्पादन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 832 मु0ख0 / उत्त0 / भू0खनि0इ0 / 2006–07, दिनांक 18 फरवरी, 2014 के साथ संलग्न प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस विलेख को निष्पादित कर मूलरूप में इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि उक्त निष्पादित प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस विलेख के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए, विलेख की एक प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
(जी0एस0 बिष्ट)
अनु सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः (1) / VII-1 / 2014 / 187–ख / 2007, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(जी0एस0 बिष्ट)
अनु सचिव।

NOTARY
Birendra Singh (Advocate) Reg.No.58(01)2022 Dehwala, Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

ATTESTED
Birendra Singh
Advocate & Notary
Reg.No. 58(01)2022
Dehwala, Court Compound
Dehwala, Dehradun (U.K.)
2.5.2016

Annexure-D

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 2015/माघ 21, 1936

No. 333] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 2015/MAGHA 21, 1936

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2015

का.आ. 423(अ).—केन्द्रीय सरकार खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 3 के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना द्वारा पहले से ही खनिज घोषित खनिजों के अतिरिक्त निम्नलिखित खनिजों को इससे पूर्व उक्त खंड के अधीन गौण खनिज घोषित करती है :

(i) अगेट ;

(ii) बॉल क्ले

(iii) बैराइट्स

(iv) कैल्केरियस सैण्ड ;

(v) कैल्साइट ;

(vi) चॉक ;

(vii) चिनी मिट्टी ;

(viii) अन्य क्ले ;

(ix) कोरण्डम ;

(x) डायस्पोर ;

(xi) डोलोमाइट ;

(xii) डुनाइट अथवा पायरोक्सिनाइट ;

(xiii) फेलसाइट ;

(xiv) फेल्सपार ;

(xv) अग्निसह मृत्तिका ;

(xvi) फुस्काइट क्वार्टजाइट;

(xvii) जिप्सम ;

(xviii) जस्पर ;

(xix) कयोलिन ;

(xx) लेटेराइट ;

(xxi) चूना कंकड़ ;

(xxii) अभ्रक ;

(xxiii) ऑकर ;

(xxiv) पाइरोफाइलाइट ;

(xxv) क्वार्टज ;

(xxvi) क्वार्टजाइट ;

(xxvii) बालू (अन्य) ;

(xxviii) शेल ;

(xix) सिलिका बालू ;

(xxx) स्लेट ; और

(xxxi) स्टोटाइट अथवा टैल्क अथवा सोपस्टोन ;

[फा. सं. 5/1/2015-एम.VI]

आर. श्रीधरन, अपर सचिव

710 GI/2015 (1)

NOTARY — Birendra Singh (Advocate) Reg.No.58(01)2022 Datwala, Dehradun — STATE OF UTTARAKHAND

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2015

S.O. 423(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of section 3 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby declares the following minerals to be minor minerals in addition to the minerals already declared by notification as minor minerals hereinbefore under the said clause:

(i) Agate;

(ii) Ball Clay;

(iii) Barytes;

(iv) Calcareous Sand;

(v) Calcite;

(vi) Chalk;

(vii) China Clay;

(viii) Clay (Others);

(ix) Corundum;

(x) Diaspore;

(xi) Dolomite;

(xii) Dunite or pyroxenite;

(xiii) Felsite;

(xiv) Felspar;

(xv) Fireclay;

(xvi) Fuschite Quartzite;

(xvii) Gypsum;

(xviii) Jasper;

(xix) Kaolin;

(xx) Laterite;

(xxi) Limekankar;

(xxii) Mica;

(xxiii) Ochre;

(xxiv) Pyrophyllite;

(xxv) Quartz;

(xxvi) Quartzite;

(xxvii) Sand (Others);

(xxviii) Shale;

(xxix) Silica Sand;

(xxx) Slate; and

(xxxi) Steatite or Talc or Soapstone.

[F. No. 5/1/2015-M. VI]

R. SRIDHARAN, Addl. Secy.

NOTARY
Birendra Singh
(Advocate)
Reg.No.58(01)2022
Doiwala, Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

ATTESTED
Birendra Singh
Advocate & Notary
Reg.No. 58(01)2022
Doiwala Court Compound
Doiwala, Dehradun (U.K.)
2.5.2025

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Annexure-E

क्रम संख्या – 141

पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/देहरादून–30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 31 जुलाई, 2015 ई0

श्रावण 09, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास विभाग

संख्या 844/VII-I/2015/68–ख/2015

देहरादून, 31 जुलाई, 2015

कार्यालय ज्ञाप

प0 आ0–104

मुख्य खनिजों के दोहन के लिए भारत सरकार द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2015 अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम में प्रथम आगत प्रथम पावत के सिद्धान्त को समाप्त करते हुए मुख्य खनिजों का आवंटन निविदा प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों से किये जाने की व्यवस्था है।

उक्त अधिनियम के अनुसार मुख्य खनिजों के आवीक्षा परमिट (reconnaissance permit), प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस एवं खनन पट्टा जो कि भाग–क और भाग–ख की प्रथम अनुसूची में अधिसूचित है, को भारत सरकार की पूर्वानुमति के उपरान्त ही स्वीकृत किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त समस्त खनन पट्टे की अवधि 50 वर्ष होगी। समस्त खनन पट्टे जो उक्त अधिनियम के निर्गत होने से पूर्व स्वीकृत किये गये थे, वे सभी निष्पादन के दिनांक से 50 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत समझे जायेंगे। उक्त अवधि के पश्चात् उक्त क्षेत्र में उपलब्ध खनिज निक्षेप की कार्यवाही नीलामी के माध्यम से आवंटित की जायेगी।

NOTARY
Birendra Singh
(Advocate)
Reg.No.53(01)2022
Dehwala, Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची में इंगित खनिज चूना पत्थर (Lime stone) राज्य में पाया जाता है। अतः उपरोक्त मुख्य खनिजों को खनिज परिहार पर स्वीकृत किये जाने से पूर्व भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

विद्यमान खनन पट्टा धारकों एवं आवेदकों के अधिकार (Right of existing concession holders and applicants) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक अर्थात् 12 जनवरी, 2015 से पूर्व प्राप्त समस्त आवेदन पत्र निरस्त समझे जायेंगे। उक्त अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने उपरान्त निम्नलिखित आवेदन पत्र पात्रता की श्रेणी में सम्मिलित हो सकेंगे :–

(क) उक्त अधिनियम की धारा 11क के अधीन प्राप्त आवेदन।

(ख) उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी भूमि के सम्बन्ध में यथास्थिति यदि पूर्वेक्षण लाईसेंसधारी से राज्य सरकार संतुष्ट होने पर स्वीकृत किसी खनिज का आवीक्षा परमिट (reconnaissance permit) एवं प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस। (prospecting licence)

(ग) ऐसे आवेदन पत्र, जिनके द्वारा पी0एल0 और आर0पी0 की समयावधि समाप्ति के तीन माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है या राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 06 माह के विलम्ब का मर्षण कर दिया गया हो।

(घ) ऐसे आवेदन जिनका दिनांक 12.01.2015 से पूर्व पी0एल0/आर0पी0 स्वीकृत कर दिये गये हैं। (एम0सी0आर0 1960 के अनुसार जिसने लीज डीड की कार्यवाही कर ली हो)।

(ङ.) ऐसे आवेदक, जिनको पूर्व में प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस जारी हुआ है और माइनिंग लीज के लिए आवेदन कर दिया है।

समस्त आवीक्षा लाईसेंस (R.P.), प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस Cum खनन पट्टा एवं खनन पट्टा के आवेदन पत्र भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के भूविज्ञान शाखा द्वारा खनिजीकरण की उपलब्धता के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण कर विज्ञप्तीकरण कर टेण्डर (नीलामी) के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे।

खनिज लाईमस्टोन का प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस Cum खनन पट्टा एवं खनन पट्टा के आवेदन पत्र भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के भूविज्ञान शाखा द्वारा खनिजीकरण की उपलब्धता के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण कर भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त विज्ञप्तिकरण कर टेण्डर (नीलामी) के माध्यम से प्राप्त किये जायेंगे।

वर्तमान में खान मंत्रालय भारत सरकार के अधिसूचना सं0 का.आ. 423(अ) दिनांक 10 फरवरी 2015 द्वारा 31 खनिज, जो कि मुख्य खनिज की श्रेणी के अन्तर्गत थे, को गौण/उपखनिज की श्रेणी में घोषित कर दिया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है : –

(एक) अगेट (Agate)
(दो) बॉल क्ले (Ball Clay)
(तीन) बैराइटस (Barytes)
(चार) कैल्केरियस सैण्ड (Calcareous Sand)
(पांच) कैल्साइट (Calcite)
(छः) चॉक (Chalk)

NOTARY
Birendra Singh
(Advocate)
Reg.No.55(01)2022
Dehwala, Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

(सात) चिनी मिट्टी (China Clay)
(आठ) अन्य क्ले (Clay others)
(नौ) कोरण्डम (Corundum)
(दस) डायस्पोर (Diaspore)
(ग्यारह) डोलोमाइट (Dolomite)
(बारह) ड्यूनाइट अथवा पायरोसेनाइट (Dunite or pyroxenite)
(तेरह) फेलसाइट (Felsite)
(चौदह) फेल्सपार (Felspar)
(पंद्रह) अग्निसह मृत्तिका (Fuschite Quartzite)
(सोलह) फुस्काईट क्वार्टजाइट (Fuschite Quartzite)
(सत्तरह) जिप्सम (Gypsum)
(अठारह)) जस्पर (Jasper)
(उन्नीस) क्योलिन (Knolin)
(बीस) लेटेराइट (Laterite)
(इक्कीस) चूना कंकड़ (Lime Kankar)
(बाइस) अभ्रक (Mica)
(तेइस) ऑकर (Ochre)
(चौबीस) पाइरोफाइलाइट (Pyrophyllite)
(पचीस) क्वार्टज (Quartz)
(छब्बीस) क्वार्टजाइट (Quartzite)
(सताइस)बालू अन्य (Sand others)
(अठाइस) शेल (Shale)
(उनतीस) सिलिका बालू (Silica Sand)
(तीस) स्लेट और (Slate and)
(इकतीस) स्टोटाइट अथवा टैल्क अथवा सोपस्टोन। (Steatite or Talc or Soapstone)

उपरोक्त घोषित उपखनिज सोपस्टोन, डोलोमाईट, बैराईट, सिलिका सैण्ड उत्तराखण्ड राज्य में पाया जाता है, जिसके खनन पट्टे वर्तमान में राज्य में संचालित है। उक्त अधिसूचना दिनांक 10 फरवरी, 2015 द्वारा घोषित खनिज सोपस्टोन के अतिरिक्त 30 अन्य खनिजों को गौण खनिज (उपखनिज) घोषित किये जाने के कारण उक्त खनिजों के प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस/खनन पट्टा आवंटन एवं खनिजों के विदोहन हेतु राज्यपाल निम्नवत नीति प्रख्यापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ---

उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति- 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस नीति का संक्षिप्त नाम गौण खनिज नीति, 2015 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
परिभाषाएं	2.	जब तक इस नीति में अन्य कोई बात अपेक्षित न हो--- (क) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;

NOTARY Birendra Singh (Advocate) Reg.No.58(01)2022 Doiwala,Dehradun STATE OF UTTARAKHAND

(ख) कलक्टर से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) सरकार से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(घ) आयुक्त' से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारधारक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) स्थानीय अधिकारी' से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी जो क्रमशः नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का वैध रूप से हकदार है या जिसका नियत्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा न्यस्त है;

(च) 'व्यक्ति' के अन्तर्गत कोई कम्पनी या संगम या व्यष्टि निकाय चाहे निगमित हो या नहीं सम्मिलित है;

(छ) शब्द और पद जो परिभाषित नहीं है परन्तु सामान्य खण्ड अधिनियम, 1904 में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उक्त अधिनियम में दिये गये है।

पूर्व से चल रहे खनिजों के खनन पट्टों की अवस्थिति

3. पूर्व से चल रहे खनिजों के खनन पट्टे अधिसूचना संख्या 423(अ) दिनांक 10–02–2015 के द्वारा घोषित उपखनिज के वर्तमान में खनिज सापस्टोन, डोलोमाईट, बैराईट, सिलिका सैण्ड के चल रहे खनन पट्टे खनिज परिहार नियमावली, 1960 के अधीन स्वीकृत है, उनके लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जानी होगी :–

(एक) अवधि (पूर्व से चल रहे पट्टे हेतु) :–

(1) 02 हैक्टेयर से 05 हैक्टेयर तक खनन पट्टा धारक के अनुरोध पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर 25 वर्ष तक की अवधि हेतु शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(2) 05 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल होने की दशा में खनन पट्टा धारक के अनुरोध पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर 50 वर्ष तक की अवधि हेतु शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(दो) **खनन योजना का अनुमोदन :–**

(1) खनन योजना का अनुमोदन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के द्वारा किया जायेगा।

(2) अनुमोदित स्कीम ऑफ माइनिंग की अवधि समाप्त होने से 03 माह पूर्व तक स्कीम आफ माइनिंग निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रस्तुत करनी होगी।

NOTARY
Birendra Singh
(Advocate)
Reg.No.58(01)2022
Dehwala, Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

(3) खनन योजना स्कीम ऑफ माईनिंग का अनुमोदन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा किया जायेगा। जिन खनन योजना का स्कीम आफ माइनिंग को पुनः अनुमोदन किया जाना है वह पट्टा धारक पुनः स्कीम अनुमोदन कराये जाने हेतु आवेदन करेंगे।

(4) यदि अनुमोदित अवधि व्यतीत हो गई हो तो उन खानों को तत्काल बन्द कर दिया जाये। खान अधिकारी/उपनिदेशक खनन यह सुनिश्चित करेंगे की कोई भी खनन योजना बिना अनुमोदन के संचालित न हो।

(5) पट्टाधारक द्वारा खनन योजना सम्बन्धित खान अधिकारी/उपनिदेशक (खनन) के समक्ष रू0 20,000/–की धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कराने के उपरान्त चालान की प्रति के साथ प्रस्तुत करेंगे। सम्बन्धित खान अधिकारी अपनी आख्या के साथ खनन योजना, स्कीम आफ माईनिग/क्लोजर प्लान निदेशालय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेंगे। प्रकिया में हुए विलम्ब हेतु खनन कार्य बन्दी नही होगा, जो खनन योजना (स्कीम आफ माईनिंग) प्रस्तुत नहीं की जायेगी उनके खन्ने तत्काल प्रभाव से रोक दिये जायेंगे। आर0क्यू0पी0 जो कि आई0बी0एम0 द्वारा अधिकृत किये गये हैं, निदेशक से पुनः पंजीकरण प्राप्त होने तक मान्य रहेंगे। इस नीति के लागू होने के उपरान्त सभी आर0क्यू0पी0 को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म में रू० 10,000/– की धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा कराकर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। पंजीकरण की अवधि 05 वर्ष के लिए मान्य होगी।

(तीन) बन्दी के उपरान्त पुनः खोला जाना:– जिन खनन पट्टों को भारतीय खान ब्यूरो द्वारा नोटिस देकर बन्द कराया गया था उन खनन पट्टों को पुनः खोले जाने हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी, निदेशक को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए निदेशक द्वारा अनुश्रवण कर आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी, जिस पर शासन द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

(चार) खान सुरक्षा महानिदेशालय की अनुमतिः जो खनन पट्टे खान सुरक्षा महानिदेशालय के अन्तर्गत आते है वे पूर्व की भाँति समस्त कार्यवाही खान सुरक्षा महानिदेशालय से करते रहे।

NOTARY
Birendra Singh
(Advocate)
Reg.No.58(01)2022
Dalwala, Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

(पांच) **खनन पट्टा क्षेत्र का अपरिहार्य भाटक** : उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 की द्वितीय अनुसूची में मुख्य खनिज से उपखनिज में घोषित खनिजों हेतु अपरिहार्य भाटक निर्धारित किया जायेगा, जो कि वर्षा ऋतु को छोड़कर (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) आगामी माह की 20 तारीख को अग्रिम किस्त के रूप में जिला कोषागार में जमा की जानी होगी।

(छः) **रायल्टी/स्वामित्व की दर** : उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 की प्रथम अनुसूची में मुख्य खनिज से घोषित हुए खनिजों पर रायल्टी/स्वामित्व की दर निर्धारित की जायेगी, जिसकी दर प्रति टन निकासी के आधार पर होगी। अग्रिम अपरिहार्य भाटक की मासिक किस्त का समायोजन निकासी खनिज की रायल्टी के अनुसार होगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि रायल्टी या डेडरेन्ट अपरिहार्य भाटक में जो अधिक होगा देय होगा। जब तक राज्य सरकार द्वारा रायल्टी का निर्धारण नहीं किया जाता है तब तक पूर्व की दर पर रायल्टी वसूल की जायेगी। अन्तर आगामी माह की 20 तारीख तक जमा करेंगे। उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 में घोषित रायल्टी की दर लागू होने से पूर्व की गयी भुगतान की गई रायल्टी की दरें आई0बी0एम0 द्वारा अन्तिम घोषित दरें लागू होंगी।

(सात) **खनन पट्टा विलेख हेतु स्टाम्प ड्यूटी** : खनन पट्टा विलेख उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 में द्वितीय अनुसूची में निर्धारित मुख्य खनिज से उपखनिज में घोषित हेतु प्रति वर्ष निर्धारित अपरिहार्य भाटक की दर से खनन पट्टे की अवशेष अवधि की 2 प्रतिशत की दर से स्टाम्प ड्यूटी पर खनन पट्टा विलेख किया जायेगा

(आठ) **प्रतिभूति धनराशिः** अपरिहार्य भाटक का 25 प्रतिशत अग्रिम में निदेशक के पक्ष में बन्धक करना होगा। पूर्व पट्टाधारकों को इससे छूट दी जायेगी।

(नौ) **निजी भूमि धारक को प्रतिपूर्ति** :– खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत मासिक निकासी की रायल्टी के बराबर समस्त भूस्वामियों के खनन पट्टे की भूमि की भागीदारी के अनुसार एवं निकासी वाले खेत को निकासी के दौरान उक्त के अतिरिक्त खेत से की गई निकासी के बराबर प्रतिकर दिया जायेगा। भूस्वामी की भूमि समतल कर खेत बनाकर दिये जाने की शर्त के साथ दिया जायेगा। इस हेतु जिलाधिकारी प्रतिपूर्ति निर्धारक अधिकारी होंगे। खनन पट्टा धारक निजी भूमि धारक से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु सहमति पत्र भूस्वामी एवं पट्टाधारक के मध्य विधिक अनुबन्ध होना अनिवार्य होगा।

NOTARY
Birendra Singh
(Advocate)
Reg.No.55(01)2022
Dalwala, Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

(दस) बन्द पड़े खनन पट्टों का खनन पट्टा विलेख एवं पुनः चालू किया जाना :– ऐसे खनन पट्टे जो किसी भी कारण से बन्द पडे हो ऐसे खनन पट्टों को बन्दी अवधि का वर्तमान में उपखनिज के अपरिहार्य भाटक की दर से 30 अक्टूबर, 2015 तक डेड रेन्ट जमा कर एक बार स्टैलमेण्ट के अर्न्तगत पट्टा विलेख कराकर खनन पट्टा बहाल करा सकते हैं।

(ग्यारह) **बैंक गारन्टी:–** पूर्व से संचालित खनन पट्टाधारको को निदेशक के पक्ष में बैंक गारंटी रू0 2.00 लाख (रू दो लाख) 5.00 है० क्षेत्रफल तक तथा 5.00 है० से अधिक क्षेत्रफल हेतु रू० 5.00 लाख (रू पांच लाख) खनन योजना, खनन स्कीम एवं उत्तरोत्तर खान बन्दी योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जानी होगी।

खनन पट्टा हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रकरण 4. **(क) मृत्यु के उपरान्त :** खनन पट्टा धारक की मृत्यु के उपरान्त खनन पट्टा धारक के विधिक वारिस के पक्ष में खनन पट्टा हस्तान्तरण जिलाधिकारी एवं निदेशक की संस्तुति पर शासन की अनुमति पर होगा। उक्त खनन पट्टे की अवधि अवशेष खनन पट्टे हेतु होगी।

(ख) निजी भूमि के हस्तान्तरण : निजी भूमि में स्वीकृत खनन पट्टे या भागीदार जोड़ने या हटाने पर समस्त भू–स्वामियों की सहमति, जिसको राजस्व विभाग द्वारा समस्त भू–सवामियों से सत्यापन कर प्रस्तुत किये जाने पर नियमावली के अनुसार उपयुक्त व्यक्ति को खनन पट्टा हस्तान्तरण जिलाधिकारी एवं निदेशक की संस्तुति पर शासन की अनुमति पर होगा। हस्तान्तरण होने वाले लेन देन स्पष्ट होगा। रू0 5,00,000/–(रू0 पांच लाख) हस्तान्तरण शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना होगा।

(ग) निजी भूमि से भिन्न भूमि पर हस्तान्तरण: नियमावली के अनुसार उपयुक्त व्यक्ति को जिलाधिकारी एवं निदेशक की संस्तुति पर शासन की अनुमति पर हस्तान्तरण होगा। हस्तान्तरण होने वाले लेन–देन को स्पष्ट होगा। रू0 2,00,000/–(रू0 दो लाख) हस्तान्तरण शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना होगा।

NOTARY
Birendra Singh
(Advocate)
Reg.No.56(01)2022
Dalwala,Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

न्यूनतम क्षेत्रफल और आकार 5. **(क) न्यूनतम क्षेत्रफल** – निजी नाप भूमि में खनन पट्टे हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 2.00 है0 एवं निजी भूमि से भिन्न (अर्थात् राजस्व भूमि आदि) न्यूनतम क्षेत्रफल 5.00 है० में एक खण्ड में होना आवश्यक होगा। ऐसी भूमि जो राजस्व अभिलेखों में रास्ता, गूल जैसे सार्वजनिक उपयोग हेतु दर्ज हो को ही केवल निजि भूमि के साथ सम्मिलित किया जा सकेगा। यदि निजी भूमि क्षेत्रान्तर्गत राजस्व भूमि खण्डों में आती है जिसका

क्षेत्रफल आवेदित क्षेत्रफल के अधिकतम 25 प्रतिशत तक हो, को सम्मिलित करते हुये खनन पट्टा देने पर विचार किया जा सकेगा। राज्य सरकार उक्त क्षेत्रफल की न्यूनतम सीमा को किसी विशेष परिस्थिति में निदेशक की संस्तुति पर 50 प्रतिशत तक शिथिल करने पर विचार कर निर्णय ले सकती है।

(ख) आकार– स्वीकृत क्षेत्र का ज्यामितीय आकार यथा त्रिभुजाकार या आयताकार आदि इस प्रकार हो कि सीमा स्तम्भ कम से कम हो।

खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 10 फरवरी, 2015 द्वारा घोषित उपखनिजों हेतु आवेदन पत्र/आवंटन

6. **खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 10 फरवरी, 2015 द्वारा घोषित उपखनिजों हेतु आवेदन पत्र/आवंटन :**

(एक) आवेदन शुल्क:– 02 हैक्टेयर तक रू 2.00 लाख
02 हैक्टेयर से अधिक 05 हैक्टेयर तक रू 4.00 लाख
05 हैक्टेयर से अधिक रू 5.00 लाख

(दो) अवधि :– 02 हैक्टेयर से 05 हैक्टेयर तक 25 वर्ष
05 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल होने की दशा में खनन पट्टा धारक के अनुरोध पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर 50 वर्ष की अवधि तक।

(तीन) आशय पत्र एवं खनन पट्टा आवंटन :– निजी नाप भूमि एवं राजस्व भूमि में प्रथम आवत प्रथम पावत सिद्धान्त को समाप्त करते हुए निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती है :–

(क) निजी नाप भूमि में भू–स्वामी या भू–स्वामी द्वारा नोटरी द्वारा सत्यापित सहमति के आधर पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा खनन पट्टे हेतु आशय पत्र निर्गत किया जायेगा। आशय पत्र की शर्तो को पूर्ण कराने के पश्चात् शासन द्वारा खनन पट्टा आवंटित किया जायेगा।

(ख) निजी नाप भूमि से भिन्न भूमि में टेण्डर/लाटरी, जैसा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा निर्धारित किया जाये, खनन पट्टे शासन द्वारा आवंटित किये जायेंगे।

(चार) पात्रता :–

(क) खांन एवं खनिन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के संशोधन दिनांक 12.1.2015 एवं खान मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं० का०आ० 423(अ) दिनांक 10 फरवरी, 2015 द्वारा घोषित गौण खनिज हेतु पूर्व से स्वीकृत समस्त प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स धारकों, प्रोस्पेक्टिंग लाईसेन्स हेतु जारी शासनादेश, प्रोस्पेक्टिंग लाईसेन्स हेतु जारी आशय

NOTARY
Birendra Singh (Advocate)
Reg.No.53(01)2022
Dehwala, Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

पत्र एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा प्रोस्पेक्टिंग लाईसेन्स हेतु भेजी गई संस्तुति वाले आवेदन पत्र निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कराये जाने के उपरान्त निदेशक की संस्तुति पर खनन पट्टे हेतु ग्राह्य होंगे।

(ख) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के संशोधन दिनांक 12.1.2015 एवं खान मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं० का०आ० 423(अ) दिनांक 10 फरवरी, 2015 द्वारा घोषित गौण खनिज हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्धारित आवेदन शुल्क जमा कराये जाने के उपरान्त निदेशक की संस्तुति पर खनन पट्टा का आशय पत्र जारी किया जायेगा।

(ग) निजी भूमि से भिन्न भूमि हेतु पात्रता पृथक से क्षेत्र की विज्ञप्ति के समय प्रकाशित की जायेगी।

पर्यावरण अनुमति 7. समस्त खनन पट्टों में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना का0आ0 2601 (अ) दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या 1621/VII-I/212-ख/2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

खनिज अन्वेषण 8. विभाग द्वारा औद्योगिक खनिजों (चूना पत्थर, सोपस्टोन, बेराईट, सिलिका सैण्ड आदि) का विकास एवं खनिज अन्वेषण का कार्य विभाग द्वारा किया जायेगा। चिन्हिकृत क्षेत्रों के टेण्डर आदि की प्रकिया विभाग के खनन शाखा द्वारा की जायेगी।

रायल्टी/अपरिहार्य भाटक (Dead rent) 9. राज्य में पाये जाने वाले सोप स्टोन की रायल्टी, जो कि उच्च श्रेणी (Cosmetic grade) का पाया जाता है, उच्च श्रेणी व प्रथम श्रेणी को मिश्रित कर सोप स्टोन की विभिन्न श्रेणियाँ बाजार में विक्रित की जाती हैं। राज्य में सोप स्टोन का विक्रय मूल्य ₹ 5,000 प्रति टन से लेकर ₹ 10,000 प्रति टन है, इसलिए बाजार एवं चोरी की संभावना को न्यून करने के दृष्टिगत रखते हुए सोप स्टोन की रायल्टी उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम-21 रायल्टी की प्रथम अनुसूची एवं नियम-22 अपरिहार्य भाटक की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित संशोधित दरों के अनुसार लागू होगी।

NOTARY Birendra Singh (Advocate) Reg.No.58(01)2022 Dehwala, Dehradun STATE OF UTTARAKHAND

टिन नम्बर 10. समस्त खनन पट्टा धारकों को खनन पट्टे का टिन नं0 देना अनिवार्य होगा।

प्रशिक्षण 11. (क) खनिजीकरण का आंकलन आदि कार्यों हेतु भूविज्ञान, रसायन, सर्वेक्षण, मानचित्रण विद्या के लोगों को आधुनिक पद्धति से सफलतापूर्वक संचालन हेतु अधिकारियों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु व्यवस्था की जायेगी।

(ख) खनन योजना के अनुमोदन, स्कीम आफ माईनिंग के अनुमोदन एवं खनन प्रशासन सम्बन्धी आधुनिक पद्धति से सफलतापूर्वक संचालन हेतु खनन विद्या के अधिकारियों एवं खनन प्रशासन का फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षित किये जाने हेतु व्यवस्था की जायेगी।

(ग) कार्यालय अभिलेखों के रखरखाव एवं कार्यपद्धति को सुदृढ़ बनाने हेतु कार्यालय मिनिस्ट्रीयल स्टाफ को आधुनिक पद्धति से सफलतापूर्वक संचालन हेतु प्रशिक्षित किये जाने हेतु व्यवस्था की जायेगी।

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव।

NOTARY
Birendra Singh
(Advocate)
Reg.No.58(01)2022
Doiwala,Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

ATTESTED
Birendra Singh
Advocate & Notary
Reg.No. 58(01)2022
Doiwala, Court Compound
Doiwala, Dehradun (U.K.)
2.5.1025

क्रम संख्या–178 पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बुधवार, 07 अक्टूबर, 2015 ई०

आश्विन 15, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग

संख्या 1589/VII–1/2015/68–ख/2015

देहरादून, 07 अक्टूबर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

प० आ०–132

औद्योगिक विकास अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/VII-I/2015/68–ख/2015, दिनांक 31 जुलाई 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के प्रस्तर–3, प्रस्तर–4, प्रस्तर–6 में आंशिक संशोधन किये जाने एवं अतिरिक्त प्राविधान जोड़े जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

NOTARY ★ STATE OF UTTARAKHAND ★ Birendra Singh (Advocate) Reg.No. 59/01/2022 Dehradun

क्र0सं0	वर्तमान प्राविधान	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
1.	पूर्व से चल रहे खनिजों के खनन पट्टों की अवस्थिति (एक) अवधि (पूर्व से चल रहे पट्टे हेतु) :– (1) 02 हैक्टेयर से 05 हैक्टेयर तक खनन पट्टा धारक के अनुरोध पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर 25 वर्ष तक की अवधि हेतु शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी। (2) 05 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल होने की दशा में खनन पट्टा धारक के अनुरोध पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर 50 वर्ष तक की अवधि हेतु शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	पूर्व से चल रहे खनिजों के खनन पट्टों की अवस्थिति (एक) अवधि (पूर्व से चल रहे पट्टे हेतु) :– (1) 5.00 हैक्टेयर से कम के खनन पट्टों की अवधि भी पट्टाधारक के अनुरोध पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर 50 वर्ष की अवधि हेतु शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी। (2) 5.00 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में पूर्व से संचालित खनन पट्टों की अवधि स्वतः ही 50 वर्ष समझी जाय।
2.	(सात) खनन पट्टा विलेख उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 में द्वितीय अनुसूची में निर्धारित मुख्य खनिज से उपखनिज में घोषित हेतु प्रति वर्ष निर्धारित अपरिहार्य भाटक की दर से खनन पट्टे की अवशेष अवधि की 2 प्रतिशत की दर से स्टाम्प ड्यूटी पर खनन पट्टा विलेख किया जायेगा	(सात) खनन पट्टा विलेख रू0 1000 के स्टाम्प पेपर पर अवशेष अवधि हेतु किया जायेगा।
3.	(पांच) उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 की द्वितीय अनुसूची में मुख्य खनिज से उपखनिज में घोषित खनिजों हेतु अपरिहार्य भाटक निर्धारित किया जायेगा, जो कि वर्षा ऋतु को छोड़कर (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) आगामी माह की 20 तारीख को अग्रिम किस्त के रूप में जिला कोषागार में जमा की जानी होगी।	(पांच) उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम–22 की द्वितीय अनुसूची में मुख्य खनिज से उपखनिज में घोषित खनिजों क्षेत्रों हेतु निर्धारित वार्षिक अपरिहार्य भाटक की दर के अनुसार खनन पट्टा क्षेत्र का अपरिहार्य भाटक आगणन किया जायेगा, जो पट्टेदार द्वारा देय होगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि पट्टेदार प्रत्येक खनिज के सम्बन्ध में अपरिहार्य भाटक या स्वामित्व (रायल्टी) की धनराशि का, जो भी अधिक हो, त्रैमासिक देनदार होगा किन्तु दोनों का नहीं।
4.	(छ) रायल्टी/स्वामित्व की दर : उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 की प्रथम अनुसूची में मुख्य खनिज से घोषित हुए खनिजों पर रायल्टी/स्वामित्व की दर निर्धारित की जायेगी, जिसकी दर प्रति टन निकासी के आधार पर होगी। अग्रिम अपरिहार्य भाटक की मासिक किस्त का समायोजन निकासी खनिज की रायल्टी के अनुसार होगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि रायल्टी या डेडरेन्ट अपरिहार्य भाटक में जो अधिक होगा देय होगा। जब तक राज्य सरकार द्वारा	(छ) रायल्टी/स्वामित्व की दरः उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम–21 की प्रथम अनुसूची में मुख्य खनिज से घोषित हुए उप खनिजों हेतु निर्धारित रायल्टी/स्वामित्व की दर के अनुसार पट्टाधारक द्वारा उत्खनित उपखनिज की मात्रा पर देय रायल्टी धनराशि का आगणन किया जायेगा। उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 में घोषित रायल्टी की दर लागू होने की तिथि से पूर्व पट्टाधारक पर देय रायल्टी धनराशि भारतीय खान ब्यूरो, भारत सरकार द्वारा अन्तिम घोषित रायल्टी की दरें लागू होंगी।

NOTARY Birendra Singh (Advocate) Reg.No.58(01)2013 Dehwala, Dehradun STATE OF UTTARAKHAND

क्र०सं०	वर्तमान प्राविधान	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
	रायल्टी दर निर्धारण नहीं किया जाता है तब तक पूर्व की दर पर रायल्टी वसूल की जायेगी। अन्तर आगामी माह की 20 तारीख तक जमा करेंगे। उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 में घोषित रायल्टी की दर लागू होने से पूर्व की गयी भुगतान की गई रायल्टी की दरें आई०बी०एम० द्वारा अन्तिम घोषित दरें लागू होंगी।	
5.	(6) (एक) आवेदन शुल्क :– 02 हैक्टेयर तक रू 2.00 लाख 02 हैक्टेयर से अधिक 05 हैक्टेयर तक रू 4.00 लाख 05 हैक्टेयर से अधिक रू 5.00 लाख	(6)(एक) आवेदन शुल्क : 02 है० तक रू0 1.50 लाख, 02 है० से अधिक 05 है० तक रू0 2.50 लाख 05 है० से अधिक हेतु रू0 3.00 लाख अतिरिक्त प्राविधान : नीति प्रख्यापन से पूर्व के लम्बित आवेदन पत्रों की औपचारिकतायें पूर्ण कराये जाने हेतु छः माह का समय प्रदान किया जाता है।
6.	(आठ) प्रतिभूति धनराशि : अपरिहार्य भाटक का 25 प्रतिशत अग्रिम में निदेशक के पक्ष में बन्धक करना होगा। पूर्व पट्टाधारकों को इससे छूट दी जायेगी।	(आठ) प्रतिभूति धनराशि : रू0 10000/–
7.	(नौ) निजी भूमिधारक को प्रतिपूर्ति : खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत मासिक निकासी की रायल्टी के बराबर समस्त भूस्वामियों के खनन पट्टे की भूमि की भागीदारी के अनुसार एवं निकासी वाले खेत को निकासी के दौरान उक्त के अतिरिक्त खेत से की गई निकासी के बराबर प्रतिकर दिया जायेगा। भूस्वामी की भूमि समतल कर खेत बनाकर दिये जाने की शर्त के साथ दिया जायेगा। इस हेतु जिलाधिकारी प्रतिपूर्ति निर्धारक अधिकारी होंगे। खनन पट्टा धारक निजी भूमि धारक से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु सहमति पत्र भूस्वामी एवं पट्टाधारक के मध्य विधिक अनुबन्ध होना अनिवार्य होगा।	(नौ) निजी भूमिधारक को प्रतिपूर्ति : पट्टाधारक एवं निजी भूमि स्वामी के मध्य आपसी सहमति से तथा पट्टाधारक एवं भूमिस्वामी के मध्य किसी प्रकार के विवाद की दशा में जिलाधिकारी आर्बीट्रेटर होंगे।
8.	(ग्यारह) बैंक गारन्टी : पूर्व से संचालित खनन पट्टाधारकों को निदेशक के पक्ष में बैंक गारंटी रू0 2.00 लाख (रू दो लाख) 5.00 है० क्षेत्रफल तक तथा 5.00 है० से अधिक क्षेत्रफल हेतु रू० 5.00 लाख (रू. पांच लाख) खनन योजना, खनन स्कीम एवं उत्तरोत्तर खान बन्दी योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जानी होगी।	(ग्यारह) बैंक गारन्टी : रू0 1.00 लाख/– मैनुअल माइनिंग रू0 2.00 लाख मशीनीकृत माइनिंग।

NOTARY
Birendra Singh
(Advocate)
Reg.No.5?(01)2022
Dehwala,Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

क्र0सं0	वर्तमान प्राविधान	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
9.	खनन पट्टा हस्तान्तरण 4. (क) मृत्यु के उपरान्त : खनन पट्टा धारक की मृत्यु के उपरान्त खनन पट्टा धारक के विधिक वारिस के पक्ष में खनन पट्टा हस्तान्तरण जिलाधिकारी एवं निदेशक की संस्तुति पर शासन की अनुमति पर होगा। उक्त खनन पट्टे की अवधि अवशेष खनन पट्टे हेतु होगी। (ख) निजी भूमि के हस्तान्तरण : निजी भूमि में स्वीकृत खनन पट्टे या भागीदार जोड़ने या हटाने पर समस्त भू–स्वामियों की सहमति, जिसको राजस्व विभाग द्वारा समस्त भू–सवामियों से सत्यापन कर प्रस्तुत किये जाने पर नियमावली के अनुसार उपयुक्त व्यक्ति को खनन पट्टा हस्तान्तरण जिलाधिकारी एवं निदेशक की संस्तुति पर शासन की अनुमति पर होगा। हस्तान्तरण होने वाले लेन देन स्पष्ट होगा। रू0 5,00,000/– (रू0 पांच लाख) हस्तान्तरण शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना होगा।	खनन पट्टा हस्तान्तरण 4. (क) पट्टाधारक की मृत्यु होने की दशा में उनके वारिस के नाम पर खनन पट्टा बिना भूस्वामियों की सहमति के जिलाधिकारी एवं निदेशक की संस्तुति पर शासन की अनुमति पर हस्तान्तरण किया जाय। (ख) निजी भूमि के हस्तान्तरण निजी भूमि में स्वीकृत खनन पट्टे या भागीदार जोड़ने या हटाने हेतु हस्तान्तरण शुल्क रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) जमा कराकर जिलाधिकारी एवं निदेशक की संस्तुति पर शासन की अनुमति पर होगा।
		अतिरिक्त प्राविधान – सोपस्टोन पट्टाधारक एवं पल्वराईजर धारकों को खनिज भण्डारण हेतु पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी किन्तु उनको प्रत्येक माह अपने क्रय–विक्रय का लेखा–जोखा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2015 के प्रपत्र–एल में जिलाधिकारी कार्यालय, वाणिज्यकर विभाग तथा खान अधिकारी/उप निदेशक, खनन एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना होगा। यदि सोपस्टोन पट्टाधारक एवं पल्वराईजर धारकों द्वारा प्रत्येक माह लेखा–जोखा नहीं दिया जायेगा तो उन पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2015 के नियम–13 2(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

NOTARY ★ Birendra Singh (Advocate) Reg.No.53(01)2022 Dehwala,Dehradun ★ STATE OF UTTARAKHAND

2– कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/VII-1/2015/68–ख/2015, दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 में उपरोक्तानुसार किये गये आंशिक संशोधन एवं अतिरिक्त प्राविधान जोड़े जाने के उपरान्त नीति के शेष बिन्दु यथावत् रहेंगे।

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,
मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09 औ0वि0/573–2015–100+150 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या: 1451 / VII-1 / 2017 / 68–ख / 15
देहरादून : दिनांक: 17 नवम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय संख्या–844 / VII-1 / 2015 / 68–ख / 2015, दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 में कार्यालय ज्ञाप संख्या–1589 / VII-1 / 2015 / 68–ख / 2015, दिनांक 7 अक्टूबर, 2015 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–1755 / VII-1 / 16 / 68–ख / 15, दिनांक 19 नवम्बर, 2016 द्वारा संशोधन किये गये हैं, जिसमें निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

बिन्दु–6 (तीन) (क) का संशोधन :–

उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान बिन्दु–6(तीन)(क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् ;

स्तम्भ–1 वर्तमान प्रावधान	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान
बिन्दु–6 (तीन) (क) (1) निजी नाप भूमि में आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र के सापेक्ष जिलाधिकारी द्वारा संस्तुत क्षेत्रफल का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्षेत्रफल पर संबंधित भूस्वामियों की नोटरी द्वारा सत्यापित सहमति / अनापत्ति के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर खनन पट्टा का आशय पत्र शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।	बिन्दु–6 (तीन)(क) (1) निजी नाप भूमि में आवेदक द्वारा आवेदित भूमि के सापेक्ष जिलाधिकारी द्वारा संस्तुत क्षेत्रफल का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्षेत्रफल पर संबंधित भू–स्वामियों की नोटरी द्वारा सत्यापित सहमति / अनापत्ति के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की स्पष्ट संस्तुति पर खनन पट्टा का आशय पत्र शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।
(2) आशय पत्र की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने के उपरान्त खनन पट्टे की स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी द्वारा संस्तुत क्षेत्रफल के सापेक्ष भूस्वामियों की नोटरी द्वारा सत्यापित शत प्रतिशत सहमति / अनापत्ति, जो राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित हो, के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर खनन पट्टा का शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। परन्तुक जिस आवेदित भूमि पर भूस्वामियों की अनापत्ति प्राप्त नही है, ऐसी भूमि को पृथक किया जाना होगा, इस प्रकार से संस्तुत की जाने वाली भूमि न्यूनतम 2.00 है० से कम नही होनी चाहिये।	(2) आशय पत्र की समस्त शर्तों को पूर्ण किये जाने के पश्चात् निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की स्पष्ट संस्तुति पर शासन द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जायेगा, परन्तु पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य का प्रारम्भ संबंधित भू–स्वामियों की सहमति / अनापत्ति के उपरान्त ही किया जायेगा।

NOTARY
Birendra Singh
(Advocate)
Reg.No.53(01)2022
Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

2— कार्यालय ज्ञाप संख्या–844/VII-1/2015/68–ख/2015, दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 में कार्यालय ज्ञाप संख्या–1569/VII-1/2015/68–ख/2015, दिनांक 7 अक्टूबर, 2015 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–1755/VII-1/16/ 68–ख/15, दिनांक 19 नवम्बर, 2016 द्वारा किये गये संशोधनों के पश्चात् उपरोक्तानुसार किये गये आंशिक संशोधन के उपरान्त नीति के शेष बिन्दु/प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

आज्ञा से,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

NOTARY
Birendra Singh
(Advocate)
Reg.No.53(01)2022
Doiwala,Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

ATTESTED
Birendra Singh
Advocate & Notary
Reg.No. 53(01)2022
Doiwala Court Compound
Doiwala, Dehradun "U.K.
2.5.2025

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या: 1455/VII-1/16/68–ख/15
देहरादून : दिनांक: 19 नवम्बर, 2016

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

शासन के कार्यालय संख्या–844/VII-1/2015/68–ख/2015 दिनांक 31 जुलाई, 2015 द्वारा उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 प्रख्यापित की गई, जिसमें कार्यालय ज्ञाप संख्या–1589/VII-1/2015/68–ख/2015 दिनांक 7 अक्टूबर, 2015 द्वारा अतिरिक्त प्रावधान एवं संशोधन किये गये हैं, में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

बिन्दु–4 (ख) का संशोधन :–
उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान बिन्दु–4(ख) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्;

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान प्रावधान	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान**
बिन्दु–4(ख) निजी भूमि के हस्तान्तरण : निजी भूमि में स्वीकृत खनन पट्टे या भागीदार जोड़ने या हटाने पर समस्त भू–स्वामियों की सहमति, जिसको राजस्व विभाग द्वारा समस्त भू–सवामियों से सत्यापन कर प्रस्तुत किये जाने पर नियमावली के अनुसार उपयुक्त व्यक्ति को खनन पट्टा हस्तान्तरण जिलाधिकारी एवं निदेशक की संस्तुति पर शासन की अनुमति पर होगा। हस्तान्तरण होने वाले लेन देन स्पष्ट होगा। रू0 5,00,000/– (रू0 पांच लाख) हस्तान्तरण शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना होगा।	**बिन्दु–4(ख)** निजी भूमि के हस्तान्तरण : निजी भूमि में स्वीकृत खनन पट्टे का हस्तान्तरण या भागीदार जोड़ने या हटाने पर समस्त भू–स्वामियों की सहमति, जिसको राजस्व विभाग द्वारा समस्त भू–सवामियों से सत्यापन कर प्रस्तुत किये जाने पर नियमावली के अनुसार उपयुक्त व्यक्ति को खनन पट्टा हस्तान्तरण जिलाधिकारी एवं निदेशक की संस्तुति पर शासन की अनुमति पर होगा। हस्तान्तरण होने वाले लेन देन स्पष्ट होगा। क्षेत्रफल के आधार पर हस्तान्तरण शुल्क निम्नवत् होगा :– 02 है0 से 05 है0 तक रू0 5.00 लाख 05 है0 से 20 है0 तक रू0 10.00 लाख 20 है0 से अधिक हेतु रू0 20.00 लाख

बिन्दु–6 (तीन) (क) का संशोधन :–
उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान बिन्दु–6(तीन)(क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
वर्तमान प्रावधान	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान**
बिन्दु सं0 6 (तीन)(क) निजी नाप भूमि में भू–स्वामी या भू–स्वामी द्वारा नोटरी द्वारा सत्यापित सहमति के आधार पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा खनन पट्टे हेतु आशय पत्र निर्गत किया जायेगा। आशय पत्र की शर्तों को पूर्ण कराने के पश्चात् शासन द्वारा खनन पट्टा आवंटित किया जायेगा।	**बिन्दु सं0 6 (तीन)(क)** (1) निजी नाप भूमि में आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र के सापेक्ष जिलाधिकारी द्वारा संस्तुत क्षेत्रफल का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्षेत्रफल पर संबंधित भूस्वामियों की नोटरी द्वारा सत्यापित सहमति/अनापत्ति के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर खनन पट्टा का आशय पत्र शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

2–

NOTARY
Birendra Singh
(Advocate)
Reg.No.5..01/2022
Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

-2-

	(2) आशय पत्र की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने के उपरान्त खनन पट्टे की स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी द्वारा संस्तुत क्षेत्रफल के सापेक्ष भूस्वामियों की नोटरी द्वारा सत्यापित शत प्रतिशत सहमति/अनापत्ति, जो राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित हो, के आधार पर जिलाधिकारी एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर खनन पट्टा का शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। परन्तुक जिस आवेदित भूमि पर भूस्वामियों की अनापत्ति प्राप्त नही है, ऐसी भूमि को पृथक किया जाना होगा, इस प्रकार से संस्तुल की जाने वाली भूमि न्यनूनतम 2.00 है0 से कम नही होनी चाहिये।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
सचिव

NOTARY
Birendra Singh
(Advocate)
Reg.No.58(01)2022
Doiwala, Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

ATTESTED
Birendra Singh
Advocate & Notary
Reg.No. 58(01)2022
Doiwala Court Compound
Doiwala, Dehradun U.K.
2-5-025

Annexure-F

(139)

इकाई ... क्रमांक 677 दिनांक 22-3-16 देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या: 341/VII-1/2015/187–ख/2007
देहरादून : दिनांक: 26 फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञाप

जनपद उत्तरकाशी की तहसील मोरी ग्राम कुकरेड़ा एवं भकवाड़ में स्वीकृत प्रोस्पेक्टिंग लाईसेंस क्षेत्रान्तर्गत 35.944 खनिज सिलिका सैण्ड का खनन पट्टा चाहने हेतु आवेदक श्री रतन सिंह असवाल पुत्र स्व0 अबदयाल सिंह असवाल, निवासी वन स्थली शिव मंदिर लेन, बल्लुपुर देहरादून के आवेदन पत्र दिनांक 09.03.2015 के कम में इस आशय पत्र (letter of Intent) के माध्यम से राज्य सरकार श्री रतन सिंह असवाल पुत्र स्व0 अबदयाल सिंह असवाल, निवासी वन स्थली शिव मंदिर लेन, बल्लुपुर देहरादून के पक्ष में जनपद उत्तरकाशी, तहसील मोरी के ग्राम कुकरेड़ा एवं भकवाड़ में 35.944 हैक्टेयर क्षेत्रफल में उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के प्राविधानानुसार खनिज सिलिका सैण्ड का 50 (पचास) वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत करने की मंशा रखती है। आवेदक यदि उक्त खनन पट्टा लेने हेतु सहमत हों तो निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन पत्र प्राप्ति के छः माह में प्रस्तुत करें, जिससे खनन पट्टे की औपचारिक स्वीकृति जारी की जा सके :–

1. आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र 35.944 हैक्टेयर हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क रू0 3.00 लाख अग्रिम रूप से प्रपत्र एम0एम0–1 के साथ जमा कराना होगा।
2. आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के नियमों/प्रतिबन्धों पर लिखित सहमति पत्र।
3. उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के प्रस्तर 3 (दो)(5) के अनुसार पट्टाधारक द्वारा खनन योजना सम्बन्धित खान अधिकारी/उप निदेशक (खनन) के समक्ष रू0 20,000/–की धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कराने के उपरान्त चालान की प्रति के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
4. पट्टाधारक द्वारा उक्त नीति के प्रस्तर 3 (ग्यारह) में शासनादेश दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 के द्वारा किये गये संशोधन के अनुसार, बैंक गारन्टी रू0 1.00 लाख मैनुअल माईनिंग एवं रू0 2.00 लाख मशीनीकृत माईनिंग हेतु निदेशक के पक्ष में प्रस्तुत करनी होगी।
5. उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के प्रस्तर–7 के अनुसार पट्टाधारक को खनन पट्टे में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का0आ0 2601(अ) दिनांक 07.10.2014 के कम में जारी शासनादेश संख्या 1621/VII-1/212–ख/2014, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
6. पट्टाधारक को खनन पट्टे का टिन नम्बर देना अनिवार्य होगा।
7. नीति के प्रस्तर–8 के अनुसार आवेदक को प्रतिभूति धनराशि रू0 10,000/–निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में बन्धक करनी होगी।
8. राजस्व विभाग द्वारा निजी भूमि धारकों की सूची खसरा विवरण सहित साफ्ट कापी एवं हार्ड कापी में निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसको खनन पट्टा विलेख में सम्मिलित किया जाना होगा।
9. खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक उपयोग भूमि में खनन कार्य निषिद्ध रहेगा।
10. खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले वृक्षों की सुरक्षा का दायित्व पट्टाधारक का होगा एवं खनन कार्य से वृक्षों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचायी जायेगी।

NOTARY ... Singh (Advocate) ... 2022 Reg.No. ... Dehradun STATE OF UTTARAKHAND

Scanned with OKEN Scanner

138

11. प्रस्तावित क्षेत्र का सीमाबन्धन भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के अधिकारियों द्वारा राजस्व विभाग तथा प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग के प्रतिनिधि के द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। सीमाबन्धन के समय यदि कोई क्षेत्र का कोई भाग आपत्तिजनक पाया जाता है तो उसे पृथक कर दिया जायेगा, जिसके फलस्वरूप क्षेत्र अथवा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो वह आवेदक को मान्य होगा।
12. पट्टाधारक को खनन एवं राजकीय बकाया न होने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी का निर्धारित प्रपत्र में अद्यतन "अदेयता प्रमाण पत्र" तथा "चरित्र प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा।
13. पट्टाधारक को आयकर/आयकर विवरणी जमा करा दिये जाने के सम्बन्ध में आयकर अधिकारी का अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि आयकर देय नहीं हो तो इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14. पट्टाधारक द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
संयुक्त सचिव

संख्याः 34। (1)/VII-1/2015/187–ख/2001 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी उत्तरकाशी।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र दिनांक 07.11.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं निम्न निर्देशों के साथ कि खनन पट्टा विलेख हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–
   (क) इस आदेश द्वारा स्वीकृत क्षेत्र का सीमा बन्धन हर हाल में इस आदेश की दिनांक से 60 दिवस में करा लिया जावे ताकि समयान्तर्गत पट्टाधारक द्वारा पट्टाविलेख का निष्पादन कराया जा सके।
   (ख) खनन पट्टा क्षेत्र के सीमाबन्धन की सूचना मय सीमाबन्धन रिपोर्ट, मानचित्र आदि के सीमाबन्धन पूर्ण किये जाने की दिनांक से 10 दिवस में शासन को प्रेषित कर दी जावे।
   (ग) सीमाबन्धन रिपोर्ट में यह प्रमाण पत्र अवश्य दिया जावे कि खनन पट्टे पर स्वीकृत क्षेत्र में सम्मिलित वन भूमि के अलावा कोई अन्य वन भूमि खनन पट्टा हेतु सीमाबन्धित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं की गई है तथा सीमाबन्धित क्षेत्र की परिधि से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर है।
3. श्री रतन सिंह असवाल पुत्र स्व0 अबदयाल सिंह असवाल, निवासी वन स्थली शिव मंदिर लेन, बल्लूपुर देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सोमपाल)
उप सचिव

NOTARY
STATE OF UTTARAKHAND

ATTESTED
Birendra Singh
Advocate & Notary
Reg.No. 58(01)2022
Doiwala Court Compound
Doiwala, Dehradun U.K.
2-5-2025

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-G

कार्यालय
निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
भोपाल पानी पो० बडासी,देहरादून।

संख्या2047 मुख्य खनिज– /मा०प्ला०–56/ उत्त०/ भू०खनि०ई०/2016–17 दिनांक 08 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 341/VII-I/ 2015/187–ख/2007 दिनांक 26 फरवरी 2016 के द्वारा आवेदक श्री रतन सिंह असवाल पुत्र स्व अवदयाल सिंह असवाल, निवासी वन स्थली, शिव मंदिर लेन, बल्लुपुर देहरादून के आवेदन पत्र दिनांक 09–03–2015 के कम में आवेदक उपरोक्त के पक्ष में जनपद उत्तरकाशी की तहसील मोरी ग्राम कुकरेडा एवं भक्वाडके क्षेत्रान्तर्गत 35.944 है० क्षेत्रफल में खनिज सिलिका सैण्ड का 50 वर्ष के लिए खनन पट्टा का आशय पत्र कतिपय शर्तो के अधीन स्वीकृत किया गया है कि शर्तो की अनुपालना हेतु निर्धारित छः माह की अवधि समाप्त हो जाने के कारण आवेदक के अनुरोध पर , उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1868/VII-I/ 187–ख/2007 दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 जिसके तहत उक्त शासनादेश दिनांक 26 फरवरी, 2016 में उल्लिखित शर्तो एवं औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु आगामी 06 माह हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है, से सम्बन्धित खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना आर० क्यू० पी० श्री प्रकाश मल जैन, 24, न्यू अहिसापुरी, फतेपुरा सर्किल, उदयपुर,313001 द्वारा तैयार की गयी है, को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संक्रियाओं के सुनियोजित संचालन हेतु उपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/VII-1/2015/68–ख/2015 दिनांक 31 जुलाई, 2015 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या 1589/VII-1/2015/68–ख/2015 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 द्वारा जारी उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति–2015 के प्रस्तर–3(दो)(1) के अर्न्तगत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए एवं निदेशालय द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 1762/खनन/गौण खनिज–माईनिंग प्लान/26/भू०खनि०ई०/2015–16 दिनांक 31 अक्टूबर 2015 द्वारा माईन प्लान, माईन क्लोजर प्लान, स्कीम आफ माईनिंग हेतु जारी गाईड लाईन के दृष्टिगत प्रस्तुत खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन आगामी 05 वर्ष हेतु खनन कार्य सेमी मैक्नाइज्ड माईनिंग से विना ड्रिलिग एवं ब्लास्टिंग के प्रथम वर्ष में 39,569 टन, द्वितीय वर्ष में 66,841 टन तृतीय वर्ष में 88,879 टन चतुर्थ वर्ष में 1,17,126 टन पंचम वर्ष में 1,75,017 टन के उत्पादन हेतु खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन संशोधन सहित निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रस्तावित किया जाता है:

शर्ते:–

1. उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/VII-1/2015/68–ख/2015 दिनांक 31 जुलाई, 2015 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या 1589/VII-1/2015/68–ख/2015 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 द्वारा प्रख्यापित गौण खनिज नीति–2015 के समस्त शर्तो का अनुपालन पट्टाधारक द्वारा अक्षरशः किया जायेगा।
2. राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकारण उत्तराखण्ड से पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तो का अनुपालन करते हुए खनन योजना के अनुसार खनन कार्य किया जायेगा।
3. यह खनन योजना अन्य किसी अधिनियम जो कि खान या क्षेत्र पर लागू होते है या समय–समय पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते है, को छोडकर अनुमोदित की जाती है।
4. खान अधिनियम 1952 के अधीन प्राप्त की जाने वाली स्वीकृतियॉ सक्षम स्तर से प्राप्त की जानी होगी।
5. यह खनन योजना वन (संरक्षण) अधिनियम–1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय–समय पर दिये जाये लागू होगे।
6. अनुमोदित खनन योजना किसी भी प्रभावी माननीय न्यायालय, मा० ट्रिब्यूनल एवं किसी प्रकार के अन्य न्यायालय आदि के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नही करती है।
7. इस खनन योजना में संशोधन का अनुमोदन राज्य सरकार अथवा अन्य किसी प्राधिकाकरी द्वारा खान पर समय–समय पर लागू किए गए कानूनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है।

NOTARY ★ Birendra Singh (Advocate) Reg.No.58(01)2022 Dehwala, Dehradun ★ STATE OF UTTARAKHAND

Scanned with OKEN Scanner

(221)

8. रू0 2.00 लाख (दो लाख) की बैंक गारन्टी निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में खनन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व बधक कर प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।
9. इस खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन किसी भी न्यायालय के सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी आदेश या निर्देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है।
10. खान अधिनियम 1952 के अर्न्तगत खान को चालू करने की सूचना, खान प्रबधक एवं अन्य वैधानिक नियुक्तियों को अधिसूचित करने सहित उक्त अधिनियिम के सभी नियमों एवं उपनियमों की पालना की जाएगी।
11. खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का निष्पादन/कियान्वयन निषेधाज्ञाओं/अधिसूचनाओं, आदि कोई हो तो के रिक्त होने के अधीन होगा।
12. खान अधिनियम के अर्न्तगत अपेक्षित कोई सूचना/विषय वस्तु का संगुप्त रखना/छिपाना यदि पाया जाता है और उसके सुधार हेतु कोई प्रस्ताव भी नही दिया जाता है तो खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन तुरन्त प्रभाव से वापस लेना माना जायेगा।
13. किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि दस्तावेज में दी गई, उपलब्ध कराई गई सूचनाए असत्य अथवा गलत ढंग से दर्शायी गई है, तो दस्तावेज का अनुमोदन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
14. खनन क्षेत्र को डिजिटाइज्ड किये जाने के उद्देश्य से सम्बन्धित आर0क्यू0पी0/खनन पट्टाधारक 45 दिन के उपरान्त डिजिटाइज्ड खसरा मानचित्र, जी0पी0एस कोर्डिनेटस के साथ साप्ट कापी मे एवं हार्ड कापी में निदेशालय को तैयार कर उपलब्ध करायेगा।
15. आवेदक जिस खेत में कार्य करेगा उस खेत की सूचना सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/ खान अधिकारी /सम्बन्धित उपजिलाधिकारी के कार्यालय को जिस खेत में खनन हो रहा है के भूस्वामी से किये गये अनुबन्ध की छाया प्रति खनंन कार्य प्रारम्भ करने के 15 दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा। में
16. आवेदक के द्वारा खनन पट्टे का टिन नं0 प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
17. भू-सदर्भित खनन पट्टा प्लान्स सम्मिश्रण उपरान्त भू-संदर्भित वैक्टोराइज्ड खसरा प्लान से पूरी तरह मेल होना चाहिए और तत्सबंधी दस्तावेज तीन माह में प्रस्तुत किया जायेगा।
18. अनुमोदित खनन योजना की एक-एक प्रमाणित प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय, खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, जिला टास्क फोर्स उत्तरकाशी, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं आवेदक को अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व सम्बन्धित आर0क्यू0पी0/आवेदक का होगा।

संलग्नकः खनन योजना की अनुमोदित प्रति।

(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक।

पृष्ठांक मुख्य खनिज- /मा0प्ला0-/56/उत्त0/ भू0खनि0ई0/2015-16 तददिनांकित

1. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
2. उपजिलाधिकारी, मोरी।
3. खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तरकाशी।
4. श्री रतन सिंह असवाल पुत्र स्व अवदयाल सिंह असवाल, निवासी वन स्थली, शिव मंदिर लेन, यल्लुपूर देहरादून द्वारा श्री प्रकाश मल जैन, 24, न्यू अहिंसापुरी, फतेपुरा सर्किल, उदयपुर,313001

(विनय शंकर पाण्डेय)
निदेशक।

NOTARY Birendra Singh (Advocate) Reg.No.53(01)2022 Doiwala, Dehradun STATE OF UTTARAKHAND

ATTESTED Birendra Singh Advocate & Notary Reg.No. 53(01)2022 Doiwala Court Compound Doiwala, Dehradun UK 2/5/2025

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-H

961 15-12-16

168

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या: 1868 /VII-1/187–ख/2007
देहरादून : दिनांक: 3 दिसम्बर, 2016

श्री रतन सिंह असवाल,
पुत्र स्व0 श्री अबदयाल सिंह असवाल,
निवासी वन स्थली शिव मंदिर लेन,
बल्लूपुर, जनपद देहरादून।

जनपद उत्तरकाशी, तहसील मोरी के ग्राम कुकरेड़ा एवं भकवाड़ में 35.944 है0 भूमि में 50 वर्ष की अवधि हेतु खनिज सिलिका सैंण्ड के खनन पट्टे की औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु शासनादेश संख्या 341/VII-1/2015/187–ख/2007 दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा आवेदक श्री रतन सिंह असवाल पुत्र स्व0 अबदयाल सिंह असवाल, निवासी वन स्थली शिव मंदिर लेन, बल्लूपुरं, देहरादून को जनपद उत्तरकाशी, तहसील मोरी के ग्राम कुकरेड़ा एवं भकवाड़ में 35.944 है0 भूमि में कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के आधार पर 50 वर्ष की अवधि हेतु खनिज सिलिका सैण्ड के खनन पट्टे की औपचारिक स्वीकृति छः माह में पूर्ण करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया था। उक्त शासनादेश में इंगित छः माह की समयावधि में आवेदक द्वारा कतिपय शर्तें निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण नही की जा सकी है।

इस सम्बन्ध में आवेदक श्री रतन सिंह असवाल पुत्र स्व0 अबदयाल सिंह असवाल, निवासी वन स्थली शिव मंदिर लेन, बल्लूपुर, देहरादून के अनुरोध पत्र दिनांक 30.11.2016 एवं जनपद स्तर पर पर्यावरणीय अनुमति हेतु समिति (DEIAA) का गठन विलम्ब से होने के कारण पर्यावरणीय अनुमति की कार्यवाही वर्तमान में जनपद स्तर पर गतिमान होने के दृष्टिगत आगामी 06 माह हेतु अतिरिक्त समय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उपरोक्त अतिरिक्त समयावधि में आपके द्वारा शासन के पत्र संख्या 341/VII-1/2015/187–ख/2007 दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा स्वीकृत आशय पत्र (Letter of Intent) में उल्लिखित शर्तों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर जिलाधिकारी, उत्तरकाशी तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, देहरादून के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(शैलेश बगौली)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 1868 /VII-1/187–ख/2007, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
3. क्षेत्रीय नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(शैलेश बगौली)
सचिव।

ATTESTED
Birendra Singh
Advocate & Notary
Reg. No. 58(01)2022
Dehradun, U.K.
2-5-2025

NOTARY STATE OF UTTARAKHAND
Birendra Singh (Advocate) Reg.No.58(01)2022 Dehradun

Scanned with OKEN Scanner

(123)

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 749 /VII-1/2018/187ख/07
देहरादून :दिनांकः 22 मई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या–341/VII-1/2015/187–ख/2007, दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा श्री रतन सिंह असवाल पुत्र स्व० श्री अबदयाल सिंह असवाल, निवासी वन स्थली शिव मन्दिर लेन, बल्लुपुर, देहरादून के पक्ष में जनपद उत्तरकाशी, तहसील मोरी के ग्राम कुकरेड़ा एवं भकवाड़ में 35.944 है० क्षेत्रफल में उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के प्रावधानानुसार कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन 50 वर्ष की अवधि हेतु सिलिका सैण्ड का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु आशय पत्र स्वीकृत किया गया। संगत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.2.2016 द्वारा स्वीकृत आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों की अनुपालना आवेदक को आशय पत्र निर्गत होने की तिथि से 06 माह के भीतर पूर्ण की जानी थी। शासन के पत्र संख्या–1868/VII-1/187–ख/2007, दिनांक 9 दिसम्बर, 2016 द्वारा आवेदक श्री रतन सिंह असवाल को स्वीकृत आशय पत्र दिनांक 26.2.2016 की अनुपालना हेतु आगामी 06 माह की समयावधि प्रदान की गई। उक्त समयावधि दिनांक 8.6.2017 को समाप्त हो गई है।

2. श्री रतन सिंह असवाल, 13बी ग्रीन पार्क, देहरादून द्वारा अपने दिनांक रहित प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि पार्यावरणीय अनुमति हेतु State Level Environment Impact Assessment Authority का गठन न होने के कारण उनके द्वारा पर्यावरणीय अनुमति हेतु भारत सरकार में आवेदन किया गया है, जिसमें पर्यावरणीय अनुमति हेतु 03 माह के अन्तराल में 02 जन सुनवाई की कार्यवाही होनी है, जिसमें समय लगने के दृष्टिगत उनके द्वारा आशय पत्र की शर्तों की अनुपालना हेतु 01 वर्ष का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया। श्री रतन सिंह असवाल पुत्र स्व० अबदयाल सिंह असवाल, देहरादून द्वारा प्रस्तुत दिनांक रहित प्रार्थना पत्र के क्रम में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र संख्या–1725/मु०ख०/ 02/ उत्तरकाशी/खनन/2008–09, दिनांक 20 जनवरी, 2018 द्वारा श्री रतन सिंह असवाल के दिनांक रहित प्रार्थना पत्र के क्रम में आशय पत्र की पूर्ण अनुपालना हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

अतः श्री रतन सिंह असवाल, 13बी ग्रीन पार्क, देहरादून द्वारा प्रस्तुत दिनांक रहित प्रार्थना पत्र एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के उक्त पत्र दिनांक 20.1.2018 के क्रम में श्री रतन सिंह असवाल पुत्र स्व० श्री अबदयाल सिंह असवाल, निवासी वन स्थली शिव मन्दिर लेन, बल्लुपुर, देहरादून के पक्ष में जनपद उत्तरकाशी, तहसील मोरी के ग्राम कुकरेड़ा एवं भकवाड़ में 35.944 है० क्षेत्रफल में उपखनिज सिलिकासैण्ड के खनन पट्टा हेतु स्वीकृत आशय पत्र दिनांक 26.2.2016, शासन के पत्र दिनांक 9.12.2016 द्वारा प्रदत्त समयावधि के क्रम में आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों की अनुपालना हेतु लगभग 08$^{1/2}$ माह के विलम्ब का मर्षण करते हुए स्वीकृत आशय पत्र की अनुपालना हेतु अग्रेत्तर 06 माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है।

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव

संख्याः 749 (1)/VII-1/2018 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्त पत्र दिनांक 20 जनवरी, 2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. श्री रतन सिंह असवाल पुत्र स्व० अबदयाल सिंह असवाल, 13बी ग्रीन पार्क, देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(गरिमा रौंकली)
संयुक्त सचिव

NOTARY
Birendra Singh
(Advocate)
Reg.No.58(01)2022
Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

ATTESTED
Birendra Singh
Advocate & Notary

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-4

J.D/DD.

(199)

12.9.2019

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या: 1813/VII-1/2019/187ख/07
देहरादून, दिनांक: 11 सितम्बर, 2019

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय
क्रमांक 3403
दिनांक 12/09/19
उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या–341/VII-1/2015/187–ख/2007, दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा श्री रतन सिंह असवाल पुत्र स्व० श्री अबदयाल सिंह असवाल, निवासी वन स्थली शिव मन्दिर लेन, बल्लुपुर, देहरादून के पक्ष में जनपद उत्तरकाशी, तहसील मोरी के ग्राम कुकरेड़ा एवं भकवाड़ में 35.944 है० क्षेत्रफल में उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 के प्रावधानानुसार कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन 50 वर्ष की अवधि हेतु सिलिका सैण्ड का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु आशय पत्र स्वीकृत किया गया। संगत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26.2.2016 द्वारा स्वीकृत आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों की अनुपालना आवेदक को आशय पत्र निर्गत होने की तिथि से 06 माह के भीतर पूर्ण की जानी थी। शासन के पत्र संख्या–1868/VII-1/187–ख/2007, दिनांक 9 दिसम्बर, 2016 द्वारा आवेदक श्री रतन सिंह असवाल को स्वीकृत आशय पत्र दिनांक 26.2.2016 की अनुपालना हेतु आगामी 06 माह की समयावधि प्रदान की गई तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या–79/VII-1/2018/187–ख/07, दिनांक 22 मई, 2018 द्वारा उक्त पत्र दिनांक 9.12.2016 द्वारा प्रदत्त समयावधि के क्रम में आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों की अनुपालना में लगभग $08^{1/2}$ माह के विलम्ब का मर्षण करते हुए स्वीकृत आशय पत्र की अनुपालना हेतु अग्रेत्तर 06 माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया था, जो माह अगस्त, 2018 को समाप्त हो गयी है।

2. श्री रतन सिंह असवाल, 13बी ग्रीन पार्क, देहरादून द्वारा अपने दिनांक 28.3.2019 एवं पत्र दिनांक 22.7.2019 के माध्यम से अवगत कराया गया कि आशय पत्र में स्वीकृत क्षेत्र की पर्यावरणीय अनुमति हेतु आवेदन किया गया है तथा जनपद उत्तरकाशी की District Survery Report तैयार न होने के कारण पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किये जाने में विलम्ब हो रहा है। तद्नुसार उनके द्वारा आशय पत्र की शर्तों की अनुपालना हेतु 01 वर्ष का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः श्री रतन सिंह असवाल, 13बी ग्रीन पार्क, देहरादून द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना दिनांक 28.3.2019 एवं पत्र दिनांक 22.7.2019 क्रम में श्री रतन सिंह असवाल पुत्र स्व० श्री अबदयाल सिंह असवाल, निवासी वन स्थली शिव मन्दिर लेन, बल्लुपुर, देहरादून के पक्ष में जनपद उत्तरकाशी, तहसील मोरी के ग्राम कुकरेड़ा एवं भकवाड़ में 35.944 है० क्षेत्रफल में उपखनिज सिलिकासैण्ड के खनन पट्टा हेतु स्वीकृत आशय पत्र दिनांक 26.2.2016, शासन के उक्त पत्र दिनांक 9.12.2016 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.5.2018 द्वारा प्रदत्त समयावधि के क्रम में आशय पत्र में उल्लिखित शर्तों की अनुपालना में लगभग 01 वर्ष के विलम्ब का मर्षण करते हुए स्वीकृत आशय पत्र की अनुपालना हेतु अग्रेत्तर 06 माह का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है।

एन०एस० डुंगरियाल
संयुक्त सचिव

संख्या: 1813 (1)/VII-1/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
3. श्री रतन सिंह असवाल पुत्र स्व० अबदयाल सिंह असवाल, 13बी ग्रीन पार्क, देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव

NOTARY
Birendra Singh
(Advocate)
Reg.No.58(01)2022
Doiwala, Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

ATTESTED
Birendra Singh
Advocate & Notary
Reg.No. 58(01)2022
Doiwala Court Compound
Doiwala, Dehradun U.K.
2.5.2025

Scanned with OKEN Scanner

Annexure-I

संख्या: 1056/VII-A-1/25-187(ख)/2007

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
देहरादून।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 देहरादून : दिनांक: 28 अप्रैल, 2025

विषय: श्री रतन सिंह असवाल पुत्र स्व0 श्री अबदयाल सिंह असवाल, निवासी बी0-502, पैसिफिक गोल्फ एस्टेट, ग्राम कुल्हान सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून के पक्ष में जनपद उत्तरकाशी की तहसील मोरी के ग्राम कुकरेडा एवं भकवाड में कुल 35.944 है0 भूमि पर स्वीकृत खनिज सिलिका सैण्ड के पट्टा विलेख के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त आपके पत्र संख्या 538/मु0ख0-VII(i)/02/2006-07/खनन/उत्त0/भू0खनि0नि0/24, दिनांक 28.04.2025 के सन्दर्भ में शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त पाया गया कि शासन के पत्र संख्या 1163/VII-A-1/25-187(ख)/2007, दिनांक 08.08.2023 द्वारा जनपद उत्तरकाशी की तहसील मोरी के ग्राम कुकरेडा एवं भकवाड में कुल 35.944 है0 भूमि पर श्री रतन सिंह असवाल पुत्र स्व0 श्री अबदयाल सिंह असवाल, निवासी बी0-502, पैसिफिक गोल्फ एस्टेट, ग्राम कुल्हान सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून के पक्ष में निष्पादित खनन पट्टा विलेख में खनन पट्टे की अवधि 50 वर्ष अंकित है, जबकि अधिसूचना संख्या 977, दिनांक 16.06.2023 द्वारा प्रभावी उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली-2023 के अध्याय-2 के नियम 10(2) में स्वस्थानें (In-Situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड आदि के खनन पट्टे की अवधि अधिकतम 25 वर्ष नियत की गई है।

अतः उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विषयगत प्रकरण के भी संगत नियम से आच्छादित होने के दृष्टिगत शासन के पत्र दिनांक 08.08.2023 द्वारा अनुमोदित पट्टा विलेख में अंकित पट्टे की अवधि 50 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष संशोधित की जाती है। कृपया उक्त संशोधन के अनुरूप अनुपूरक पट्टा विलेख निष्पादित किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

NOTARY
Birendra Singh (Advocate)
Reg.No.58(01)2022
Doiwala,Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

ATTESTED
Birendra Singh
Advocate & Notary
Reg. No. 58(01)2022
Doiwala Court Compound
Doiwala, Dehradun (UK).
.5.2025

Scanned with OKEN Scanner